

भाग - I  
भारतीय रिजर्व बैंक  
मानव संसाधन प्रबंधन विभाग  
हैदराबाद

ताजा दूध/कॉफी/चाय वेंडिंग मशीनों की संस्थापना और रखरखाव  
और  
बैंक परिसर में वेंडिंग मशीनों के रखरखाव के लिए जनशक्ति की  
आपूर्ति के लिए ई-निविदा

आरबीआई/हैदराबाद क्षेत्रीय कार्यालय/एचआरएमडी/1/25-26/ईटी/28



# भारतीय रिज़र्व बैंक मानव संसाधन प्रबंधन विभाग हैदराबाद

## अस्वीकरण

भारतीय रिज़र्व बैंक, मानव संसाधन प्रबंधन विभाग, हैदराबाद ने इच्छुक पक्षों को अनुबंध की पृष्ठभूमि संबंधी जानकारी प्रदान करने के लिए यह दस्तावेज़ तैयार किया है। यद्यपि भारतीय रिज़र्व बैंक ने इसमें निहित जानकारी को तैयार करने में उचित सावधानी बरती है और मानता है कि यह उचित है, फिर भी न तो भारतीय रिज़र्व बैंक, न ही इसके किसी प्राधिकारी या एजेंसी, और न ही उनके संबंधित अधिकारी, कर्मचारी, एजेंट या सलाहकार इस दस्तावेज़ में निहित जानकारी या इसके साथ प्रदान की जाने वाली किसी भी जानकारी की पूर्णता या सटीकता के बारे में कोई वारंटी देते हैं या कोई अभिव्यक्त या निहित प्रतिनिधित्व करते हैं।

यह जानकारी संपूर्ण नहीं है। इच्छुक पक्षों को स्वयं पूछताछ करनी होगी और उत्तरदाताओं को लिखित रूप में पुष्टि करनी होगी कि उन्होंने ऐसा किया है और वे निविदा प्रस्तुत करते समय केवल भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्रदान की गई जानकारी पर निर्भर नहीं हैं। यह जानकारी इस आधार पर प्रदान की गई है कि यह भारतीय रिज़र्व बैंक या उसके किसी भी प्राधिकरण या एजेंसी या उनके किसी भी संबंधित अधिकारी, कर्मचारी, एजेंट या सलाहकार के लिए बाध्यकारी नहीं है।

भारतीय रिज़र्व बैंक अनुबंध को आगे न बढ़ाने, अनुबंध के स्वरूप में परिवर्तन करने, इस दस्तावेज़ में दर्शाई गई समय-सारिणी में परिवर्तन करने, या लागू की जाने वाली प्रक्रिया या प्रक्रिया में परिवर्तन करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। इसके अलावा, बैंक रुचि व्यक्त करने वाले किसी भी पक्ष के साथ इस मामले पर आगे चर्चा करने से इनकार करने का भी अधिकार सुरक्षित रखता है। रुचि व्यक्त करने वाले व्यक्ति या संस्थाओं को किसी भी प्रकार की लागत की प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी।

## ई-निविदा के संबंध में महत्वपूर्ण निर्देश

यह भारतीय रिज़र्व बैंक, हैदराबाद का एक ई-प्रापण कार्यक्रम है। ई-प्रापण सेवा प्रदाता/ठेकेदार/विक्रेता एमएसटीसी लिमिटेड है।

आपसे अनुरोध है कि ऑनलाइन निविदा प्रस्तुत करने से पहले निविदा आमंत्रण सूचना तथा उसके बाद जारी शुद्धिपत्र (यदि कोई हो) को पढ़ लें और समझ लें।

### ई-निविदा की प्रक्रिया :

**क) पंजीकरण :** इस प्रक्रिया में एमएसटीसी ई-प्रापण पोर्टल पर विक्रेता का पंजीकरण शामिल है, जो निःशुल्क है। पंजीकरण के बाद ही विक्रेता अपनी बोलियाँ इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। तकनीकी बोली के साथ-साथ वित्तीय बोली भी इंटरनेट पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत की जाएगी। सेवा प्रदाता/ ठेकेदार/विक्रेता के पास श्रेणी III हस्ताक्षर प्रकार का डिजिटल प्रमाणपत्र होना चाहिए। विक्रेताओं को इंटरनेट से जुड़े कंप्यूटर से बोली लगाने की अपनी व्यवस्था स्वयं करनी होगी। एमएसटीसी/आरबीआई, हैदराबाद ऐसी व्यवस्था करने के लिए ज़िम्मेदार नहीं है। (डिजिटल हस्ताक्षर के बिना बोलियाँ दर्ज नहीं की जाएँगी)।

**विशेष नोट: तकनीकी बोली और वित्तीय बोली केवल**

**[http://www.mstcecommerce.com/eprochome/rbi/buyer\\_login.jsp](http://www.mstcecommerce.com/eprochome/rbi/buyer_login.jsp) पर ऑनलाइन प्रस्तुत की जानी है।**

1) विक्रेताओं को [www.mstcecommerce.com](http://www.mstcecommerce.com) → ई-प्रापण → पीएसयू/सरकारी विभाग → आरबीआई पर ऑनलाइन पंजीकरण कराना होगा। विवरण भरकर और अपना यूजर आईडी व पासवर्ड बनाकर विक्रेता के रूप में पंजीकरण करें → सबमिट करें।

2) विक्रेताओं को पंजीकरण फॉर्म भरते समय दिए गए ईमेल पर उनके पंजीकरण की पुष्टि करने वाला एक सिस्टम जनरेटेड मेल प्राप्त होगा।

किसी भी स्पष्टीकरण के लिए कृपया एमएसटीसी/आरबीआई, हैदराबाद से (ई-निविदा के निर्धारित समय से पहले) संपर्क करें।

### एमएसटीसी संपर्क सूत्र

<b>पंजीकरण, लॉगिन, बोली, डीएससी मैपिंग और तकनीकी समस्याओं सहित सभी प्रश्नों के लिए। समय: सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक</b>		
<b>स्थान/संपर्क/एस्केलेशन मैट्रिक्स</b>	<b>स्तर 1/से</b>	<b>स्तर 2/सीसी</b>
<b>आरबीआई हैदराबाद</b>	केंद्रीय हेल्पडेस्क ईमेल: <a href="mailto:helpdesk@mstcindia.co.in">helpdesk@mstcindia.co.in</a> 07969066600	सुश्री सुरैया शेख <a href="mailto:sshaikh@mstcindia.co.in">sshaikh@mstcindia.co.in</a> 7406047869

गूगल हैंगआउट आईडी- (टेक्स्ट चैट के लिए)- [mstceproc@gmail.com](mailto:mstceproc@gmail.com)

**संपर्क व्यक्ति (आरबीआई, हैदराबाद):**

श्री अमोल आर. वाधोनकर  
सहायक प्रबंधक  
मानव संसाधन प्रबंध विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक  
6-1-56, सचिवालय रोड  
सैफाबाद, हैदराबाद – 500004  
फ़ोन: 040 -23267319

श्री राजू रातलावत  
समप्र (कार्मिक)  
मानव संसाधन प्रबंध विभाग, भारतीय रिजर्व  
6-1-56, सचिवालय रोड  
सैफाबाद, हैदराबाद - 500004  
फ़ोन: 040 -23267306

ईमेल आईडी: [rajur@rbi.org.in](mailto:rajur@rbi.org.in); [arwadhonkar@rbi.org.in](mailto:arwadhonkar@rbi.org.in); [welfarehyderabad@rbi.org.in](mailto:welfarehyderabad@rbi.org.in)

बी) **सिस्टम आवश्यकताएँ:** विवरण के लिए, विक्रेता <https://www.mstcecommerce.com/eprocn/> पर उपलब्ध डाउनलोड सिस्टम सेटिंग गाइड का संदर्भ ले सकता है।

अधिक जानकारी के लिए, विक्रेता [www.mstcecommerce.com/eprocn/](http://www.mstcecommerce.com/eprocn/) पर उपलब्ध **विक्रेता मार्गदर्शिका** और **FAQ** देख सकते हैं।

3. तकनीकी बोली और वित्तीय/मूल्य बोली [www.mstcecommerce.com/eprocn/rbi](http://www.mstcecommerce.com/eprocn/rbi) पर ऑनलाइन जमा करनी होगी। निविदाएँ निविदा में दी गई निर्दिष्ट तिथि और समय पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से खोली जाएंगी।

4. निविदा में सभी प्रविष्टियाँ बिना किसी अस्पष्टता के ऑनलाइन तकनीकी एवं वित्तीय/मूल्य प्रारूप में दर्ज की जानी चाहिए।

**लेनदेन शुल्क के संबंध में विशेष नोट:**

विक्रेता लॉगिन में "माई मेनू" के अंतर्गत "लेनदेन शुल्क भुगतान" लिंक का उपयोग करके विक्रेता लेनदेन शुल्क का भुगतान करेंगे। विक्रेताओं को इवेंट ड्रॉपडाउन बॉक्स से विशेष निविदा का चयन करना होगा। सेवा प्रदाता / ठेकेदार / विक्रेता को एनईएफटी या ऑनलाइन भुगतान के माध्यम से भुगतान करने की सुविधा होगी। एनईएफटी का चयन करने पर, सेवा प्रदाता / ठेकेदार / विक्रेता एक फॉर्म भरकर चालान तैयार करेगा। सेवा प्रदाता / ठेकेदार / विक्रेता चालान में बिना किसी बदलाव के मुद्रित विवरण के अनुसार लेनदेन शुल्क राशि का भुगतान करेगा। ऑनलाइन भुगतान का चयन करने पर, सेवा प्रदाता / ठेकेदार / विक्रेता के पास अपने क्रेडिट / डेबिट कार्ड / नेट बैंकिंग का उपयोग करके भुगतान करने

का प्रावधान होगा। एक बार भुगतान एमएसटीसी के नामित बैंक खाते में जमा हो जाने पर, लेनदेन शुल्क स्वचालित रूप से अधिकृत हो जाएगा

### **लेनदेन शुल्क अप्रतिदेय है।**

लेनदेन शुल्क का भुगतान किए बिना विक्रेता को ऑनलाइन ई-निविदा तक पहुंच नहीं मिलेगी।

### **नोट**

बोलीदाताओं को सूचित किया जाता है कि वे आयोजन के समापन समय से पहले ही लेनदेन शुल्क का भुगतान कर दें, ताकि उन्हें बोली प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त समय मिल सके।

5. अपलोड की गई निविदाओं/शुद्धिपत्रों की जानकारी निविदा के अंतिम रूप देने तक, प्रक्रिया के दौरान केवल ईमेल द्वारा ही भेजी जाएगी। इसलिए, विक्रेताओं को यह सुनिश्चित करना होगा कि एमएसटीसी में पंजीकरण के समय उनकी दी गई कॉर्पोरेट ईमेल आईडी मान्य और अद्यतन हो। विक्रेताओं से यह भी अनुरोध है कि वे अपने डीएससी (डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र) की वैधता सुनिश्चित करें।

6. एनआईटी (निविदा आमंत्रण सूचना) में उल्लिखित नियत तिथि और समय के बाद ई-निविदा प्राप्त नहीं की जा सकेगी।

### **7. ई-निविदा में बोली:**

i) विक्रेता(ओं) को ई -निविदा में ऑनलाइन बोली लगाने के लिए पात्र होने हेतु आवश्यक ईएमडी (केवल एनईएफटी के माध्यम से आरबीआई को) और लेनदेन शुल्क (एमएसटीसी को ऑनलाइन) जमा करना होगा। लेनदेन शुल्क वापस नहीं किया जाएगा। ईएमडी पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। **ईएमडी के बिना प्रस्तावों को अनुत्तरदायी माना जाएगा और अस्वीकार कर दिया जाएगा**। असफल विक्रेता(ओं) की ईएमडी निविदा आमंत्रित करने वाले प्राधिकारी द्वारा वापस कर दी जाएगी।

ii) इस प्रक्रिया में तकनीकी और वित्तीय/मूल्य बोली प्रस्तुत करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक बोली शामिल है।

iii) जिन विक्रेताओं ने लेनदेन शुल्क जमा कर दिया है, वे केवल एमएसटीसी वेबसाइट [www.mstcecommerce.com](http://www.mstcecommerce.com) → ई-प्रापण → पीएसयू/सरकारी विभाग → आरबीआई के तहत लॉगिन → माई मेनू → ऑक्शन फ्लोर मैनेजर → लाइव इवेंट → लाइव इवेंट का चयन करके इंटरनेट के माध्यम से अपनी तकनीकी बोली और वित्तीय बोली जमा कर सकते हैं।

iv) विक्रेता को जावा एप्लिकेशन चलाने की अनुमति देनी होगी। यह कार्य बोली खुलने के तुरंत बाद किया जाना चाहिए। इसके बाद, उन्हें सामान्य शर्तें/वाणिज्यिक विनिर्देश भरकर उसे सेव करना होगा। इसके

बाद तकनीकी बोली पर क्लिक करें। यदि यह एप्लिकेशन नहीं चलाया जाता है, तो विक्रेता अपनी तकनीकी बोली सेव/सबमिट नहीं कर पाएगा।

v) तकनीकी बोली भरने के बाद, विक्रेता को अपनी तकनीकी बोली दर्ज करने के लिए 'सेव' पर क्लिक करना होगा। ऐसा करने के बाद, वित्तीय बोली लिंक सक्रिय हो जाएगा और उसे भरना होगा और फिर विक्रेता को अपनी वित्तीय बोली दर्ज करने के लिए "सेव" पर क्लिक करना होगा। तकनीकी बोली और वित्तीय बोली दोनों सेव हो जाने के बाद, विक्रेता अपनी बोली दर्ज करने के लिए "फाइनल सबमिशन" बटन पर क्लिक कर सकता है।

vi) विक्रेताओं को दस्तावेज़ अपलोड करने के लिए "दस्तावेज़ संलग्न करें" बटन का उपयोग करने का निर्देश दिया गया है। एकाधिक दस्तावेज़ अपलोड किए जा सकते हैं।

vii) सभी मामलों में, विक्रेता को अपनी बोली प्रस्तुत करते समय डिजिटल हस्ताक्षर के साथ-साथ अपनी स्वयं की आईडी और पासवर्ड का उपयोग करना चाहिए।

viii) सम्पूर्ण ई-निविदा प्रक्रिया के दौरान, विक्रेता एक-दूसरे के लिए तथा अन्य सभी के लिए पूर्णतः गुमनाम रहेंगे।

ix) ई-निविदा प्लेटफॉर्म पूर्व घोषित तिथि एवं समय से तथा ऊपर उल्लिखित अवधि तक खुला रहेगा।

x) ई-निविदा प्रक्रिया के दौरान प्रस्तुत सभी इलेक्ट्रॉनिक बोलियाँ विक्रेता पर कानूनी रूप से बाध्यकारी होंगी। किसी भी बोली को उस विक्रेता द्वारा प्रस्तुत वैध बोली माना जाएगा और बैंक द्वारा उसकी स्वीकृति, आपूर्ति के निष्पादन हेतु बैंक और विक्रेता के बीच एक बाध्यकारी अनुबंध का निर्माण करेगी।

xi) यह अनिवार्य है कि सभी बोलियाँ डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र के साथ प्रस्तुत की जाएं अन्यथा उन्हें सिस्टम द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा।

xii) बैंक बिना कोई कारण बताए निविदा को पूर्णतः या आंशिक रूप से रद्द करने, अस्वीकार करने, स्वीकार करने, वापस लेने या बढ़ाने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

xiii) निविदा दस्तावेज़ के नियमों और शर्तों में कोई भी बदलाव स्वीकार्य नहीं है। किसी भी विक्रेता द्वारा ई-निविदा मंच पर बोली प्रस्तुत करना, निविदा के नियमों और शर्तों की उसकी स्वीकृति की पुष्टि करता है।

8. इस निविदा से उत्पन्न कोई भी आदेश इसमें उल्लिखित नियमों और शर्तों द्वारा शासित होगा।

9. तकनीकी एवं वित्तीय नियमों एवं शर्तों में किसी भी प्रकार का विचलन स्वीकार्य नहीं है।

10. निविदा आमंत्रित करने वाले प्राधिकारी को बिना कोई कारण बताए इस ई-निविदा को रद्द करने या बोली(ओं) की प्राप्ति की नियत तिथि बढ़ाने का अधिकार है।

11. विक्रेताओं से अनुरोध है कि वे बोली लगाने से पहले प्रणाली से परिचित होने के लिए विक्रेता मार्गदर्शिका पढ़ें और [www.mstcecommerce.com/eprochome](http://www.mstcecommerce.com/eprochome) पृष्ठ पर वीडियो देखें।

## निविदा अनुसूची (एसओटी)

ए	ई-निविदा संख्या	आरबीआई/हैदराबाद क्षेत्रीय कार्यालय /एचआरएमडी/1/ /25-26/ईटी/28
बी	निविदा का तरीका	ई-खरीद प्रणाली (ऑनलाइन भाग I - तकनीकी बोली और भाग II - वित्तीय बोली के माध्यम से) <a href="http://www.mstcecommerce.com/eprochome/rbi">www.mstcecommerce.com/eprochome/rbi</a>
सी	एनआईटी की तिथि पार्टियों के लिए डाउनलोड करने हेतु उपलब्ध है	<b>11 अप्रैल, 2025 सुबह 10:00 बजे से (शुक्रवार)</b>
डी	बोली-पूर्व बैठक	<b>07 मई, 2025 सुबह 11:00 बजे (बुधवार)</b>
ई	बोली-पूर्व बैठक का स्थान	मीटिंग रूम, 5 <sup>वीं</sup> मंजिल, आरबीआई, सैफाबाद, हैदराबाद।
एफ	अनुबंध का अनुमानित मूल्य	<b>₹25 लाख प्रति वर्ष (केवल पच्चीस लाख)</b>
जी	ऑनलाइन तकनीकी बोली और वित्तीय बोली जमा करने के लिए ई-निविदा शुरू होने की तिथि <a href="http://www.mstcecommerce.com/eprochome/rbi">www.mstcecommerce.com/eprochome/rbi</a>	<b>09 मई, 2025 सुबह 11:00 बजे (शुक्रवार)</b>
एच	तकनीकी बोली और वित्तीय बोली प्रस्तुत करने के लिए ऑनलाइन ई-निविदा बंद होने की तिथि।	<b>18 मई, 2025 शाम 5.00 बजे (रविवार)</b>
आई	भाग-I। (अर्थात तकनीकी बोली) खोलने की तिथि एवं समय	<b>19 मई, 2025, सुबह 11.30 बजे (सोमवार)</b>
जे	भाग-II। वित्तीय बोली: भाग II खोलने की तिथि।	भाग II। वित्तीय बोली केवल उन्हीं बोलीदाताओं की इलेक्ट्रॉनिक रूप से खोली जाएगी जिनकी भाग I: तकनीकी बोली आरबीआई, हैदराबाद द्वारा स्वीकार्य पाई जाएगी। ऐसे बोलीदाताओं को उनके द्वारा दिए गए वैध ईमेल के माध्यम से भाग II वित्तीय बोली खोलने की तिथि की सूचना दी जाएगी।

## विषयसूची

### भाग 1 – निविदा प्रक्रिया

खंड I: निविदा आमंत्रण सूचना (एनआईटी)

खंड II: बोलीदाताओं के लिए निर्देश (आईटीबी)

खंड III: निविदा डेटा शीट

खंड IV: मूल्यांकन मानदंड

### भाग 2 – अनुबंध की शर्तें और अनुबंध प्रपत्र

खंड V: अनुबंध की सामान्य और विशिष्ट शर्तें

खंड VI: मानक प्रारूप

# भाग 1

## निविदा प्रक्रिया

## खंड I: निविदा आमंत्रण सूचना (एनआईटी)



भारतीय रिज़र्व बैंक  
मानव संसाधन प्रबंधन विभाग  
6-1-56, सचिवालय रोड, सैफाबाद,  
हैदराबाद-500004.

भारतीय रिज़र्व बैंक, हैदराबाद क्षेत्रीय कार्यालय (जिसे आगे "बैंक" कहा जाएगा), हैदराबाद स्थित बैंक परिसर में ताज़ा दूध/कॉफ़ी/चाय वेंडिंग मशीनों की स्थापना और रखरखाव के साथ-साथ वेंडिंग मशीनों के रखरखाव हेतु श्रमिकों की आपूर्ति हेतु दो-बोली प्रणाली (तकनीकी और वित्तीय बोली) के अंतर्गत ई-निविदा आमंत्रित करता है। यह समझौता **छह ताज़ा दूध/कॉफ़ी/चाय वेंडिंग मशीनों की स्थापना और मशीनों के रखरखाव हेतु दो मानव संसाधन की आपूर्ति के लिए** एक वर्ष की अवधि अर्थात् **01 जुलाई, 2025 से 31 मार्च, 2026** तक के लिए होगा और दोनों पक्षों की आपसी सहमति से और सेवा प्रदाता/ठेकेदार/विक्रेता के संतोषजनक प्रदर्शन के आधार पर दो और वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता है।

निविदाकारों को ई-निविदा संबंधी निर्देशों के अनुसार, सभी सहायक दस्तावेजों के साथ, **18 मई, 2025 को या उससे पहले शाम 5:00 बजे** तक, अपना प्रस्ताव इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत करना होगा। निविदाकार निर्धारित प्रारूप के अनुसार, सभी प्रकार से पूर्ण, **₹50,000/-** की वापसी योग्य अग्रिम राशि के साथ निविदा प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे। तकनीकी बोलियाँ **19 मई, 2025 को प्रातः 11:30 बजे इलेक्ट्रॉनिक रूप** से खोली जाएँगी। यदि ऊपर बताई गई किसी भी तिथि को अवकाश घोषित किया जाता है, तो यहाँ उल्लिखित संबंधित उद्देश्य के लिए अगला कार्यदिवस प्रभावी होगा।

निविदा दस्तावेज़ [www.rbi.org.in](http://www.rbi.org.in) और [www.mstcecommerce.com](http://www.mstcecommerce.com) वेबसाइट से डाउनलोड किए जा सकते हैं। इस निविदा से संबंधित कोई भी संशोधन/शुद्धिपत्र/स्पष्टीकरण केवल वेबसाइट/ई-पोर्टल पर ही अपलोड किया जाएगा। निविदाकार को उपरोक्त वेबसाइट/ई-पोर्टल पर किसी भी संशोधन/शुद्धिपत्र/स्पष्टीकरण के लिए नियमित रूप से जाँच करनी चाहिए। बैंक बिना कोई कारण बताए किसी भी या सभी निविदाओं को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

क्षेत्रीय निदेशक  
भारतीय रिज़र्व बैंक,  
6-1-56, सचिवालय रोड, सैफाबाद,  
हैदराबाद-500004 .

## खंड II: बोलीदाताओं के लिए निर्देश (आईटीबी)

### खंड तालिका

#### **ए. सामान्य**

1. निविदा का दायरा
2. निषिद्ध प्रथाएँ
3. पात्र निविदाकार

#### **बी. निविदा दस्तावेज की विषय-वस्तु**

4. निविदा दस्तावेज के अनुभाग
5. निविदा दस्तावेज और बोली-पूर्व बैठक का स्पष्टीकरण
6. निविदा दस्तावेज में संशोधन

#### **सी. निविदा तैयार करना**

7. निविदा की लागत
8. निविदा से संबंधित दस्तावेज
9. निविदा पत्र
10. निविदाकार की योग्यता स्थापित करने वाले दस्तावेज
11. निविदाओं की वैधता अवधि
12. निविदा सुरक्षा के रूप में ईएमडी

#### **डी. निविदा प्रस्तुत करना और खोला जाना**

13. निविदाएं प्रस्तुत करना, सील करना और चिह्नित करना
14. निविदाएं जमा करने की अंतिम तिथि
15. देर से निविदाएं

16. निविदा खोलना

**ई. निविदा की जांच**

17. गोपनीयता

18. निविदाओं का स्पष्टीकरण

**एफ. निविदा मूल्यांकन और तुलना**

19. निविदाओं का मूल्यांकन

20. निविदाकार की योग्यता

21. बैंक का किसी भी निविदा को स्वीकार करने और किसी या सभी निविदाओं को अस्वीकार करने का अधिकार

**जी. अनुबंध दिया जाना**

22. पुरस्कार मानदंड

23. पुरस्कार की अधिसूचना

24. अनुबंध पर हस्ताक्षर

25. कार्य-प्रदर्शन प्रतिभूति

**खंड II: बोलीदाताओं के लिए निर्देश**

**ए. सामान्य**

<p><b>1. निविदा का दायरा</b></p>	<p><b>भारतीय रिज़र्व बैंक, हैदराबाद में ताज़ा दूध/काँफ़ी/चाय वेंडिंग मशीनों (छह) और मानव संसाधन (छह मशीनों के रखरखाव हेतु दो व्यक्ति) की स्थापना एवं रखरखाव की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए, बैंक योग्य प्रतिष्ठित निविदाकारों से ई-निविदाएँ आमंत्रित करता है। निविदाकार द्वारा ये वेंडिंग मशीनें निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएँगी। अनुबंध का अनुमानित वार्षिक मूल्य ₹25 लाख है। कार्य की विस्तृत नियम व शर्तों के लिए कृपया इस निविदा दस्तावेज़ के भाग V को देखें।</b></p>
<p><b>2. निषिद्ध प्रथाएँ</b></p>	<p>2.1 बैंक यह अपेक्षा करता है कि बैंक के साथ व्यावसायिक संबंध रखने में रुचि रखने वाले निविदाकार, आपूर्तिकर्ता, ठेकेदार, अनुबंध/नियुक्ति की अवधि के दौरान नैतिकता के उच्चतम मानकों का पालन करें। इस नीति के अनुसरण में, बैंक:</p> <p>(क) इस प्रावधान के प्रयोजनों के लिए, नीचे दिए गए शब्दों को निषिद्ध प्रथाओं के रूप में परिभाषित करता है:</p> <p>(i) "भ्रष्ट आचरण" का अर्थ है किसी अन्य पक्ष के कार्यों को अनुचित रूप से प्रभावित करने के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी मूल्यवान वस्तु की पेशकश करना, देना, प्राप्त करना या याचना करना;</p> <p>(ii) "कपटपूर्ण व्यवहार" का अर्थ है कोई भी कार्य या चूक, जिसमें गलत बयानी भी शामिल है, जो जानबूझकर या लापरवाही से किसी पक्ष को वित्तीय या अन्य लाभ प्राप्त करने या किसी दायित्व से बचने के लिए गुमराह करता है, या गुमराह करने का प्रयास करता है;</p> <p>(iii) "बलपूर्वक व्यवहार" का अर्थ है किसी पक्ष या पक्ष की संपत्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्षति पहुंचाना या नुकसान पहुंचाने की धमकी देना, जिससे किसी पक्ष के कार्यों पर अनुचित प्रभाव पड़े; और</p> <p>(iv) "सांठगांठपूर्ण व्यवहार" का अर्थ है दो या दो से अधिक पक्षों के बीच एक व्यवस्था जो किसी अनुचित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए बनाई गई है, जिसमें किसी अन्य पक्ष के कार्यों को अनुचित तरीके से प्रभावित करना भी शामिल है;</p> <p>(ख) यदि यह निर्धारित होता है कि पुरस्कार के लिए अनुशंसित निविदाकार ने संबंधित निविदा के लिए प्रतिस्पर्धा करते समय निषिद्ध प्रथाओं में संलग्न है, तो पुरस्कार के लिए प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया जाएगा;</p>

	<p>(ग) किसी निविदाकार को अनिश्चित काल के लिए या किसी निश्चित समयावधि के लिए अयोग्य घोषित कर सकता है, यदि किसी भी समय बैंक यह निर्धारित करता है कि निविदाकार ने अनुबंध के लिए प्रतिस्पर्धा करने या उसे निष्पादित करने में निषिद्ध कार्यकलापों में भाग लिया है;</p> <p>2.2 इसके अलावा, निविदाकारों को धारा V (अनुबंध की सामान्य और विशिष्ट शर्तों) में वर्णित प्रावधानों की जानकारी होनी चाहिए।</p>
<p>3. योग्य निविदाकार/ पात्रता मानदंड</p>	<p>3.1 इच्छुक आवेदक एक प्रोप्राइटरशिप/ पार्टनरशिप/ एलएलपी / प्राइवेट लिमिटेड / लिमिटेड कंपनी / फर्म / पब्लिक कंपनी होना चाहिए, जिसके पास सरकारी विभागों/ सार्वजनिक/प्रतिष्ठित निजी क्षेत्र के संस्थानों को चाय/कॉफी सेवाएं प्रदान करने के लिए चाय / कॉफी वेंडिंग मशीन के रखरखाव और मानव संसाधन आपूर्ति का कम से कम <b>3 वर्ष का अनुभव हो और जिसका पिछले तीन वर्षों का न्यूनतम औसत वार्षिक कारोबार 25 लाख रुपये हो</b>। निविदाकार का कार्यालय और प्रतिष्ठान हैदराबाद में होना चाहिए।</p> <p>3.2 निविदाकारों के पास श्रम कल्याण और अन्य उद्देश्यों जैसे ईएसआई, ईपीएफ, पैन, टीआईएन, जीएसटीआईएन, सीएसटी, खाद्य प्रतिष्ठानों के लाइसेंस आदि के लिए गठित वैधानिक प्राधिकरणों के साथ लागू और वैध पंजीकरण होना चाहिए, जो दस्तावेजी साक्ष्य और पंजीकरण प्रमाण पत्र द्वारा विधिवत समर्थित हो।</p>
	<p><b>बी. निविदा दस्तावेज की विषय-वस्तु</b></p>

<p><b>4. निविदा दस्तावेज के खंड</b></p>	<p>निविदा दस्तावेज में भाग 1 और 2 शामिल हैं, जिसमें नीचे दर्शाए गए सभी अनुभाग शामिल हैं और इसे अनुभाग II (बोलीदाताओं के लिए निर्देश) के अनुसार जारी किए गए किसी भी परिशिष्ट/अनुलग्नक के साथ पढ़ा जाना चाहिए।</p> <p><u>भाग 1 – निविदा प्रक्रियाएँ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• खंड I: निविदा आमंत्रण सूचना (एनआईटी)</li> <li>• खंड II: बोलीदाताओं के लिए निर्देश (आईटीबी)</li> <li>• खंड III: निविदा डेटा शीट (टीडीएस)</li> <li>• खंड IV: मूल्यांकन / चयन मानदंड</li> </ul> <p><u>भाग 2 – अनुबंध की शर्तें और अनुबंध प्रपत्र</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• खंड V: अनुबंध की सामान्य और विशिष्ट शर्तें</li> <li>• खंड VI: मानक प्रारूप</li> </ul>
<p><b>5. स्पष्टीकरण निविदा दस्तावेज़, पूर्व-बोली बैठक</b></p>	<p>5.1 यदि किसी निविदाकार को इस दस्तावेज के संबंध में स्पष्टीकरण की आवश्यकता है तो वह इस दस्तावेज में उल्लिखित ई-मेल पते पर बैंक से लिखित रूप से संपर्क करेगा अथवा बोली-पूर्व बैठक के दौरान पूछताछ करेगा।</p>
	<p>5.2 निविदाकार के नामित प्रतिनिधि को <b>07 मई, 2025 को सुबह 11:00 बजे</b> पूर्व-बोली बैठक में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है। बैठक का उद्देश्य मुद्दों को स्पष्ट करना और उस स्तर पर उठाए जा सकने वाले प्रश्नों का उत्तर देना होगा।</p>
	<p>5.3 निविदाकार को अपने प्रश्न, यदि कोई हों, लिखित रूप में इस दस्तावेज़ में उल्लिखित बैंक के ईमेल पते पर पूर्व-बोली बैठक की तारीख से एक दिन पहले तक भेजने होंगे।</p>
	<p>5.4 बोली-पूर्व बैठक में अनुपस्थिति किसी निविदाकार की अयोग्यता का कारण नहीं होगी।</p>
<p><b>6. निविदा दस्तावेज़ में संशोधन</b></p>	<p>6.1 निविदाएं प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि से पहले किसी भी समय, बैंक आरबीआई वेबसाइट (<a href="http://www.rbi.org.in">www.rbi.org.in</a>) / ई-पोर्टल पर संशोधन / शुद्धिपत्र जारी करके इस दस्तावेज़ को संशोधित कर सकता है।</p> <p>6.2 जारी किया गया कोई भी संशोधन/शुद्धिपत्र इस दस्तावेज़ का हिस्सा होगा।</p> <p>6.3 भावी निविदाकारों को अपनी बोलियां तैयार करने में किसी भी/सभी संशोधनों/शुद्धिपत्र को ध्यान में रखने के लिए उचित समय देने के लिए, बैंक अपने विवेकानुसार निविदाएं प्रस्तुत करने की समय सीमा बढ़ा सकता है।</p>

	<b>सी, निविदा तैयार करना</b>
<b>7. निविदा की लागत</b>	निविदाकार को अपनी निविदा की तैयारी और प्रस्तुति से संबंधित सभी लागतें वहन करनी होंगी, तथा निविदा प्रक्रिया के संचालन या परिणाम की परवाह किए बिना, बैंक उन लागतों के लिए जिम्मेदार या उत्तरदायी नहीं होगा।
<b>8. निविदा में शामिल दस्तावेज</b>	<p>निविदा में निम्नलिखित शामिल होंगे:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• निविदा आमंत्रण सूचना</li> <li>• तकनीकी बोली विवरण</li> <li>• वित्तीय बोली विवरण</li> <li>• बयाना जमाराशि</li> </ul> <p><b>इच्छुक निविदाकार को 18 मई 2025 को शाम 5.00 बजे</b> तक या उससे पहले भारतीय रिजर्व बैंक, मानव संसाधन प्रबंधन विभाग, हैदराबाद - 500004 के पास ₹50,000 /- (केवल पचास हजार रुपये) की राशि जमा करनी होगी।</p> <p>एनईएफटी द्वारा निम्नलिखित खाते में:</p> <p>खाता संख्या: 8614038</p> <p>IFS कोड: RBISONEFTHY (5वां शून्य है)</p> <p>हैदराबाद में देय 'भारतीय रिजर्व बैंक' के पक्ष में।</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• सफल निविदाकारों द्वारा अनुबंध प्रदान किए जाने के बाद निष्पादन बैंक गारंटी प्रस्तुत की जाएगी।</li> <li>• अनुबंध करार।</li> </ul>
<b>9. निविदा का पत्र</b>	निविदाकार को बिना किसी परिवर्तन के ई-टेंडरिंग प्रक्रिया के माध्यम से डिजिटल हस्ताक्षर श्रेणी 3 का उपयोग करके निविदा प्रस्तुत करनी होगी। सभी रिक्त स्थानों में मांगी गई जानकारी भरनी होगी।
<b>10. निविदाकार की योग्यता स्थापित करने वाले दस्तावेज</b>	खंड II (पैरा 3) के अनुसार अनुबंध निष्पादित करने के लिए अपनी योग्यता स्थापित करने के लिए, निविदाकार धारा VI (मानक प्रारूप) में निर्धारित प्रारूप में जानकारी प्रदान करेगा।

<p><b>11. निविदा की वैधता अवधि</b></p>	<p>11.1 निविदा की वैधता अवधि निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि से 90 दिन होगी।</p> <p>11.2 असाधारण परिस्थितियों में, निविदा की वैधता अवधि समाप्त होने से पहले, बैंक निविदाकारों से उनकी निविदाओं की वैधता अवधि बढ़ाने का अनुरोध कर सकता है। अनुरोध और उत्तर लिखित रूप में दिए जाएंगे।</p>
<p><b>12. निविदा प्रतिभूति के रूप में ईएमडी</b></p>	<p>निविदाकारों को आवश्यक ईएमडी और ई-निविदा में ऑनलाइन बोली लगाने के लिए पात्र होने हेतु लेनदेन शुल्क देना होगा। लेनदेन शुल्क वापस नहीं किया जाएगा। अग्रिम राशि (ईएमडी) पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। असफल विक्रेता(ओं) की अग्रिम राशि निविदा आमंत्रित करने वाले प्राधिकारी द्वारा वापस कर दी जाएगी।</p>
<p><b>डी. निविदा प्रस्तुत करना और खोला जाना</b></p>	
<p><b>13. निविदाओं की प्रस्तुतिकरण, सीलिंग और अंकन</b></p>	<p>13.1 इलेक्ट्रॉनिक रूप से निविदाएं प्रस्तुत करने वाले निविदाकारों को ई-निविदा से संबंधित निर्देशों में निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक निविदा प्रस्तुति प्रक्रियाओं का पालन करना होगा।</p> <p>13.2 निविदाकार अपनी वित्तीय बोली (प्रतिस्पर्धी दरों पर) निर्धारित एक्सेल प्रारूप में "तकनीकी बोली" (भाग-I और भाग-II) में दर्शाए गए आवश्यक दस्तावेजों की प्रतियों के साथ ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। सभी सूचनाओं के साथ ई-निविदा निर्धारित समय और तिथि तक या उससे पहले जमा करनी होगी।</p> <p>13.3 यदि वांछित/निर्धारित जानकारी प्रस्तुत नहीं की जाती है, तो बैंक निविदा की अस्वीकृति के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा।</p>
<p><b>14. निविदा जमा करने की अंतिम तिथि</b></p>	<p>14.1 निविदाएं इस दस्तावेज में उल्लिखित ई-टेंडरिंग प्रक्रिया के माध्यम से ऑनलाइन भरी जानी चाहिए, इस दस्तावेज में दर्शाई गई तारीख और समय के बाद नहीं।</p> <p>14.2 बैंक अपने विवेकानुसार निविदा दस्तावेज में संशोधन करके निविदाएं प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि बढ़ा सकता है।</p>
<p><b>15. निविदा में देरी</b></p>	<p>समय सीमा के बाद पोर्टल पर किसी भी निविदा की अनुमति नहीं दी जाएगी।</p>
<p><b>16. निविदा खोलना</b></p>	<p>बैंक अधिसूचित तिथि को इलेक्ट्रॉनिक रूप से निविदा खोलेगा।</p>
<p><b>ई. निविदाओं की जांच</b></p>	

17. गोपनीयता	निविदाओं के मूल्यांकन से संबंधित जानकारी निविदाकारों या किसी अन्य व्यक्ति को आधिकारिक रूप से प्रकट नहीं किया जाएगा अनुबंध पर जानकारी मिलने तक ऐसी प्रक्रिया से संबंधित सभी निविदाकारों को पुरस्कार की सूचना दे दी गई है
18. निविदाओं का स्पष्टीकरण	<p>18.1 निविदाओं की जाँच, मूल्यांकन, तुलना और निविदाकारों की योग्यता निर्धारित करने में सहायता के लिए, बैंक अपने विवेकानुसार, किसी भी निविदाकार से उसकी निविदा के बारे में स्पष्टीकरण मांग सकता है, और प्रतिक्रिया के लिए उचित समय दे सकता है। किसी निविदाकार द्वारा प्रस्तुत कोई भी स्पष्टीकरण, जो बैंक के अनुरोध के प्रत्युत्तर में न हो, पर विचार नहीं किया जाएगा। बैंक द्वारा स्पष्टीकरण का अनुरोध और उसका उत्तर लिखित रूप में होगा। निविदाओं के मूल्यांकन में बैंक द्वारा पाई गई अंकगणितीय त्रुटियों के सुधार की पुष्टि के अलावा, निविदा की कीमतों या सार में कोई परिवर्तन न तो मांगा जाएगा, न ही प्रस्तावित किया जाएगा, और न ही अनुमति दी जाएगी।</p> <p>18.2 यदि कोई निविदाकार बैंक के स्पष्टीकरण अनुरोध में निर्धारित तिथि और समय तक अपनी निविदा का स्पष्टीकरण नहीं देता है, तो उसकी निविदा अस्वीकृत कर दी जाएगी।</p>
<b>एफ. निविदा मूल्यांकन और तुलना</b>	
19. निविदाओं का मूल्यांकन	बैंक खंड IV में दर्शाए गए मूल्यांकन मानदंडों का उपयोग करेगा।
20. निविदाकार की योग्यता	बैंक अपनी संतुष्टि के लिए यह निर्धारित करेगा कि चयनित निविदाकार खंड II (पैरा 3) के अनुसार योग्यता मानदंडों को पूरा करता है या नहीं।
21. बैंक का किसी भी निविदा को स्वीकार करने, और किसी भी या सभी को अस्वीकार करने का अधिकार	<p>बैंक किसी भी निविदा को स्वीकार या अस्वीकार करने, तथा निविदा प्रक्रिया को रद्द करने और अनुबंध प्रदान करने से पहले किसी भी समय सभी निविदाओं को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, जिससे निविदाकारों के प्रति कोई दायित्व उत्पन्न नहीं होगा या इसके लिए कोई कारण नहीं बताया जाएगा।</p> <p>इसके अलावा सशर्त बोलियों को सीधे तौर पर अस्वीकार कर दिया जाएगा।</p>
<b>जी. अनुबंध दिया जाना</b>	
22. दिए जाने का मानदंड	बैंक, खंड IV (मूल्यांकन मानदंड) में वर्णित मूल्यांकन मानदंडों के आधार पर निविदाकार को सूचीबद्ध करेगा।

23. दिए जाने की अधिसूचना	जो निविदाकार साइट विजिट मूल्यांकन (यदि आवश्यक हो) सहित तकनीकी मूल्यांकन में अर्हता प्राप्त करता है तथा वित्तीय बोली में एल1 है, उसे निविदा प्रदान की जाएगी।
	जब तक औपचारिक अनुबंध तैयार और निष्पादित नहीं हो जाता, तब तक अनुबंध सौंपे जाने की अधिसूचना एक बाध्यकारी अनुबंध मानी जाएगी। सफल निविदाकार को कार्य सौंपे जाने की अधिसूचना के 7 दिनों के भीतर संपूर्ण कार्य अपने हाथ में लेना होगा।
24. अनुबंध पर हस्ताक्षर	सफल निविदाकार को कार्य सौंपे जाने के 15 दिनों के भीतर बैंक के साथ कम से कम ₹100/- मूल्य के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर एक समझौता करना होगा। स्टाम्प शुल्क का भुगतान ठेकेदार द्वारा किया जाएगा। हालाँकि, बैंक द्वारा कार्य सौंपे जाने की सूचना देना एक बाध्यकारी अनुबंध माना जाएगा, मानो ऐसा समझौता पहले ही हो चुका हो और इस अनुबंध पर सभी नियम व शर्तें लागू होंगी। यह समझौता एक वर्ष (01 जुलाई, 2025 - 31 मार्च, 2026) की अवधि के लिए वैध होगा और बैंक द्वारा ठेकेदार के कार्य-निष्पादन की वार्षिक समीक्षा के अधीन इसे दो और वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकेगा।
25. कार्यप्रदर्शन प्रतिभूति	25.1 सफल निविदाकार को अनुबंध के साथ निष्पादन बैंक गारंटी (पीबीजी) प्रस्तुत करनी होगी। खंड VI (मानक प्रारूप) के अनुसार ₹2,50,000/- (केवल दो लाख पचास हजार रुपये) का भुगतान किया जाएगा। पीबीजी अनुबंध अवधि की समाप्ति के बाद 60 दिनों की अवधि के लिए वैध होगा। ऐसे निविदाकार की ईएमडी पीबीजी प्राप्त होने पर वापस कर दी जाएगी।
	25.2 सफल निविदाकार द्वारा ₹2,50,000/- (दो लाख पचास हजार रुपये मात्र) की निष्पादन बैंक गारंटी प्रस्तुत करने में विफलता या अनुबंध पर हस्ताक्षर करने में विफलता, पुरस्कार को रद्द करने, ईएमडी को जब्त करने और ऐसे निविदाकार को काली सूची में डालने के लिए पर्याप्त आधार होगी। 25.3 पीबीजी, अनुबंध अवधि पूरी होने के 2 महीने बाद, अनुबंध के सफल समापन और एजेंसी या उसके कर्मचारियों की ओर से कोई देनदारी न होने की संतुष्टि के बाद ही बिना ब्याज के जारी की जाएगी। किसी भी शिकायत या बकाया राशि के मामले में, सभी बकाया राशि, देनदारियों आदि का समायोजन करने के बाद ही निष्पादन बैंक गारंटी (पीबीजी) जारी की जाएगी।

### खंड III - निविदा डेटा शीट

ए. भूमिका	
1.	निविदा का दायरा

1.1	निविदा आमंत्रित करने वाला कार्यालय है: भारतीय रिजर्व बैंक, हैदराबाद क्षेत्रीय कार्यालय, मुख्य कार्यालय भवन, सैफाबाद, हैदराबाद 500004
1.2	निविदा का नाम है: बैंक परिसर में ताजा दूध कॉफी/चाय वेंडिंग मशीनों की स्थापना और रखरखाव तथा वेंडिंग मशीनों के रखरखाव के लिए जनशक्ति की आपूर्ति। निविदा संदर्भ संख्या आरबीआई/हैदराबाद क्षेत्रीय कार्यालय/एचआरएमडी/1/25-26/ईटी/28
1.3	पात्र निविदाकार: निविदाकार को धारा II के पैरा संख्या 3 में उल्लिखित पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा।

### बी. निविदा दस्तावेज़

<b>2.</b>	<b>निविदा दस्तावेज़ का स्पष्टीकरण, निविदा-पूर्व बैठक</b>
2.1	केवल स्पष्टीकरण के लिए, बैंक का पता है: <b>भारतीय रिजर्व बैंक, मानव संसाधन प्रबंधन विभाग, तीसरी मंजिल, मुख्य कार्यालय भवन, सैफाबाद, हैदराबाद-500004</b> संपर्क व्यक्ति (आरबीआई हैदराबाद):  i) श्री अमोल वाधोनकर, सहायक प्रबंधक, आरबीआई, हैदराबाद ईमेल: <a href="mailto:arwadhonkar@rbi.org.in">arwadhonkar@rbi.org.in</a> फ़ोन नंबर 040-2326 7319  ii) श्री राजू रतलावत, सहायक महाप्रबंधक ईमेल: <a href="mailto:rajur@rbi.org.in">rajur@rbi.org.in</a> फ़ोन नंबर : 040-2326 7306
2.2	7 मई, 2025 (बुधवार) को सुबह 11:00 बजे बोली-पूर्व बैठक आयोजित होगी।

### सी. निविदा तैयार करना

<b>3</b>	<b>निविदा में शामिल दस्तावेज़</b>
3.1	निविदा में निम्नलिखित शामिल होंगे:
(क)	निविदा आमंत्रण सूचना, बोलीदाताओं के लिए निर्देश, मूल्यांकन मानदंड और अनुबंध की सामान्य और विशिष्ट नियम व शर्तें।
(ख)	तकनीकी और वित्तीय मूल्यांकन के लिए विभिन्न प्रारूप तथा धारा VI के अनुसार निष्पादन बैंक गारंटी के लिए विभिन्न प्रारूप (मानक प्रारूप)
<b>4.</b>	<b>निविदाओं की वैधता अवधि</b>
4.1	निविदा की वैधता अवधि निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि से 90 दिन होगी।
<b>5</b>	<b>निविदा प्रतिभूति के रूप में ईएमडी / बैंक गारंटी</b>
5.1	इच्छुक निविदाकार को <b>18 मई 2025, शाम 5.00 बजे तक या उससे पहले</b> , भारतीय रिजर्व बैंक, हैदराबाद को खाता संख्या 8614038 एवं IFSC- RBISONEFTHY (5वां अंक शून्य होने

	पर) में एनईएफटी के माध्यम से जमा करके भारतीय रिज़र्व बैंक, मानव संसाधन प्रबंध विभाग, हैदराबाद - 500004 के पास बयाना जमाराशि के रूप में ₹50,000 /- (केवल पचास हजार रुपये) जमा करना होगा।
<b>6</b>	<b>निविदाएं प्रस्तुत करना</b>
6.1	सभी प्रकार से पूर्ण निविदा इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत की जाएगी। निविदाकार "तकनीकी बोली" में दर्शाए गए आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपनी प्रतिस्पर्धी दरें प्रस्तुत कर सकते हैं।
<b>डी. निविदाएं प्रस्तुत करना और खोलना</b>	
<b>7</b>	<b>निविदाएं जमा करने की अंतिम तिथि</b>
7.1	सभी प्रकार से पूर्ण ई-निविदाएं निम्नलिखित समय-सीमा के अनुसार प्रस्तुत की जाएंगी: दिनांक : <b>18 मई , 2025</b> समय: <b>शाम 5.00 बजे</b>
<b>8</b>	<b>निविदा खोला जाना</b>
8.1	निविदा को निविदा अनुसूची (एसओटी) में उल्लिखित तिथि और समय पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से खोला जाएगा। वे निविदाकार जो साइट मूल्यांकन सहित तकनीकी मूल्यांकन में सफल घोषित किये जायेंगे, वित्तीय मूल्यांकन के लिए पात्र होंगे। ऐसे निविदाकार जो तकनीकी और साइट विजिट मूल्यांकन में अर्हता प्राप्त करेंगे, उन्हें वित्तीय बोलियां खोलने के लिए विचार किया जाएगा और सबसे कम बोली लगाने वाले को अनुबंध प्रदान किया जाएगा, बशर्ते कि बोली निर्धारित नियमों और शर्तों के अनुरूप हो।

#### **खंड IV: मूल्यांकन/ चयन मानदंड**

<b>मूल्यांकन मैट्रिक्स</b>	
<b>ए. तकनीकी बोली मूल्यांकन</b>	
1	<p>1.1 निविदाकार मानक प्रारूप के फॉर्म 1 के अनुसार तकनीकी मूल्यांकन के लिए जानकारी प्रस्तुत करेंगे।</p> <p>1.2 फॉर्म 1 में दर्शाई गई विभिन्न मदों के लिए सहायक दस्तावेज तकनीकी मूल्यांकन के लिए प्रस्तुत किए जाने चाहिए।</p> <p>1.3 बैंक निविदाकार द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी और दस्तावेजों की पात्रता मानदंडों के संबंध में जांच करेगा और तकनीकी मूल्यांकन में योग्यता के संबंध में निर्णय लेने के लिए</p>

	बैंकों, मौजूदा ग्राहकों से प्राप्त फीडबैक और साइट विजिट (यदि आवश्यक हो) से प्राप्त निष्कर्षों का मूल्यांकन करेगा।
	<b>बी. साइट मूल्यांकन (यदि आवश्यक हो)</b>
	2.1 मूल्यांकन समिति के सदस्य नीचे उल्लिखित तालिका में दिए गए मानदंडों के अनुसार बोलीदाताओं के मौजूदा अनुबंधों की गुणवत्ता और अन्य पहलुओं का आकलन करने के लिए साइट का दौरा करेंगे। ऐसे स्थानों की सूची अर्थात हैदराबाद में ग्राहकों का पूरा पता विवरण तथा संपर्क व्यक्ति का संपर्क विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

**भाग 2**  
**अनुबंध की शर्तें**  
**और**  
**अनुबंध प्रपत्र**

## **खंड V: अनुबंध की सामान्य और विशिष्ट शर्तें**

### **ए. अनुबंध की सामान्य शर्तें**

1	1.1 निविदाकार को निविदा आमंत्रण में बैंक द्वारा बताए गए स्रोत से निविदा दस्तावेज प्राप्त करना होगा; अन्यथा बैंक निविदा दस्तावेज की अपूर्णता के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।
2	2.1 सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जाएगी। 2.2 उद्धृत दरों के आंकड़ों और शब्दों के बीच किसी भी अंतर की स्थिति में, निविदा के मूल्यांकन के लिए शब्दों में दर पर विचार किया जाएगा।
3	3.1 निविदाकार से यह अपेक्षा की जाती है कि वह निविदा दस्तावेज में सभी निर्देशों, प्रपत्रों, शर्तों और विनिर्देशों की जांच करेगा। 3.2 निविदा दस्तावेज द्वारा अपेक्षित सभी/कोई भी जानकारी या दस्तावेज प्रस्तुत करने में विफलता के परिणामस्वरूप निविदा अस्वीकृत हो सकती है।
4	4.1 उद्धृत मूल्य केवल भारतीय रुपए में होगा और <b>इसमें सभी कर शामिल होंगे</b> ।

### **बी. निविदाओं की अयोग्यता/अस्वीकृति की ओर ले जाने वाली स्थितियाँ**

5	5.1 निविदाकार द्वारा या उसकी ओर से किसी भी प्रकार का प्रचार या उनके चयन के संबंध में राजनीतिक या अन्य बाहरी प्रभाव डालने पर उन्हें प्रक्रिया से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। ऐसे निविदाकार/निविदाकारों को अगले तीन वर्षों के लिए काली सूची में डाल दिया जाएगा। यदि चयन प्रक्रिया के दौरान ऐसे मामलों का पता नहीं चलता है, लेकिन बाद में उनका पता चलता है, तो ऐसी अयोग्यता उन पर भी लागू होगी। 5.2 सभी निविदाएँ सभी संलग्नकों/अनुलग्नकों सहित पूर्ण होनी चाहिए। अपूर्ण प्रपत्र, या निर्धारित प्रारूप के अलावा किसी अन्य प्रारूप में प्राप्त बोलियाँ या उचित दस्तावेज़ी साक्ष्य के बिना प्राप्त बोलियों को बैंक द्वारा सीधे और सरसरी तौर पर अस्वीकार कर दिया जाएगा। 5.3 फैक्स या ईमेल या निर्दिष्ट माध्यम के अलावा किसी अन्य माध्यम से प्राप्त निविदाएँ स्वीकार नहीं की जाएँगी और उन्हें तुरंत अस्वीकार कर दिया जाएगा। इस मामले में किसी भी प्रकार का पत्राचार स्वीकार नहीं किया जाएगा। 5.4 निर्धारित ईएमडी/प्रसंस्करण शुल्क के बिना या उससे कम राशि पर प्राप्त बोली प्रस्तावों को सरसरी तौर पर अस्वीकार कर दिया जाएगा। 5.5 नियत तिथि एवं समय के बाद प्राप्त निविदाएं सरसरी तौर पर अस्वीकृत कर दी जाएँगी। 5.6 सशर्त निविदाएं सीधे अस्वीकार कर दी जाएँगी, तथा किसी अतिरिक्त शर्त पर विचार नहीं किया जाएगा। 5.7 निविदा जमा करने की अंतिम तिथि के बाद किसी भी निविदा में संशोधन नहीं किया जा सकता। निविदा जमा करने की अंतिम तिथि और निविदा में निर्दिष्ट निविदा वैधता अवधि की समाप्ति के बीच के अंतराल में कोई भी निविदा वापस नहीं ली जा सकती। इस अंतराल के दौरान निविदा वापस लेने पर अग्रिम राशि जब्त कर ली जाएगी। 5.8 वैकल्पिक प्रस्ताव / कार्य पूरा करने के लिए समय की अनुमति नहीं दी जाएगी।
---	--

<b>सी. भुगतान की शर्तें</b>	
6	<p>6.1 एजेंसी तैनात कर्मियों के संबंध में निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ दो प्रतियों में बिल तैयार करेगी और उसे अगले महीने के दूसरे सप्ताह या उससे पहले सहायक प्रबंधक, कल्याण, भारतीय रिज़र्व बैंक, हैदराबाद को प्रस्तुत करेगी, लेकिन तैनात कर्मियों को वेतन/मजदूरी का इलेक्ट्रॉनिक वितरण करने के बाद ही। जहाँ तक संभव हो, भुगतान सभी प्रकार से पूर्ण बिल प्रस्तुत करने की तिथि से दो सप्ताह के भीतर जारी कर दिया जाएगा।</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>i. चालू माह की चालान प्रति (वह माह जिसके लिए बिल बनाया जा रहा है)</li> <li>ii. चालू माह का परिचय (मजदूरी) रजिस्टर, जिस पर व्यक्तिगत ठेका मजदूरों द्वारा विधिवत हस्ताक्षर किया गया हो।</li> <li>iii. चालू माह की उपस्थिति रजिस्टर</li> <li>iv. समेकित ब्रेकअप विवरण के साथ चालू माह का ईएसआई प्रेषण चालान।</li> <li>v. चालू माह का ईपीएफ धन प्रेषण चालान, जहां लागू हो, समेकित ब्रेकअप विवरण के साथ</li> </ol> <p>6.2 करें और जीएसटी से संबंधित बिलों में दावे, यदि लागू हों, तो संबंधित महीने के बिल से संबंधित दस्तावेज़ी प्रमाण के साथ प्रस्तुत किए जाने चाहिए। बैंक के विवेकानुसार, बिल का एक आवश्यक भाग/बिल की पूरी राशि, ऐसे प्रमाण प्रस्तुत किए जाने तक रोक दी जाएगी।</p> <p>6.3 सभी भुगतान केवल एनईएफटी/आरटीजीएस अर्थात इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से जारी किए जाएंगे, जिसके लिए बैंक को आवश्यक आदेश प्रस्तुत करना होगा।</p> <p>6.2.6.4 निविदाकार द्वारा प्राप्त भुगतान के संबंध में कोई भी आपत्ति भुगतान की तिथि से 10 दिनों के भीतर बैंक के ध्यान में लाई जा सकती है। यदि निर्धारित अवधि के भीतर ऐसी कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है, तो यह माना जाएगा कि भुगतान के संबंध में कोई आपत्ति नहीं है।</p>
<b>डी. अनुबंध प्रदान किए जाने के बाद पूरी की जाने वाली आवश्यक आवश्यकताएं</b>	
7	<p>7.1 सफल निविदाकार/कर्ताओं को कार्य-आयोजन पत्र प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर, धारा VI (मानक प्रारूप) में निर्दिष्ट बैंक के पक्ष में ₹2,50,000/- की निष्पादन बैंक गारंटी निष्पादित करनी होगी। निष्पादन बैंक गारंटी सेवा प्रदाता/ठेकेदार/विक्रेता के सभी संविदात्मक दायित्वों के पूरा होने की तिथि से 60 दिनों की अवधि तक वैध रहेगी।</p>

	<p>7.2 इस अनुबंध से जुड़ी किसी भी शर्त व नियम के उल्लंघन की स्थिति में, अनुबंध को रद्द करने के अलावा एजेंसी की निष्पादन बैंक गारंटी भी जब्त/आह्वान की जा सकेगी।</p> <p>7.3 सफल निविदाकार/कों और बैंक के बीच अनुबंध पर कार्य सौंपे जाने के 15 दिनों के भीतर हस्ताक्षर किए जाएँगे। अनुबंध दो प्रतियों में निष्पादित किया जाएगा। बैंक मूल प्रति अपने पास रखेगा और सेवा प्रदाता/ठेकेदार/विक्रेता प्रति अपने पास रखेगा। स्टाम्प शुल्क का भुगतान सेवा प्रदाता/ठेकेदार/विक्रेता द्वारा किया जाएगा।</p> <p>7.4 एजेंसी और उसके कर्मचारी बैंक से संबंधित किसी भी जानकारी का, जिसे बैंक की निजी या स्वामित्व वाली माना जा सकता है, किसी भी उद्देश्य के लिए खुलासा, प्रकट या उपयोग नहीं करेंगे, जिसे एजेंसी और/या उसके कर्मचारियों ने बैंक द्वारा अधिकृत या कानून द्वारा अपेक्षित के अलावा प्राप्त किया हो। एजेंसी और उसके कर्मचारियों की ओर से यह दायित्व समझौते की अवधि के दौरान और समझौते की अवधि के बाद अनिश्चित काल तक लागू रहेगा। एजेंसी और उसके कर्मचारी बैंक के बुनियादी ढांचे/प्रणालियों/उपकरणों आदि की किसी भी जानकारी और विवरण का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी तीसरे पक्ष को खुलासा नहीं करेंगे, जो इस समझौते के संबंध में अपने संविदात्मक दायित्वों का निर्वहन करने के दौरान उनके कब्जे या ज्ञान में आ सकते हैं और हर समय उन्हें सख्त गोपनीयता में रखेंगे। यह अनुबंध के विवरण को निजी और गोपनीय मानेगा, सिवाय इसके कि इसके तहत दायित्वों को पूरा करने या लागू कानूनों का पालन करने के लिए आवश्यक सीमा तक। बैंक की पूर्व लिखित अनुमति के बिना, वह किसी भी व्यापारिक या तकनीकी पत्र या अन्यत्र किसी भी कार्य का विवरण प्रकाशित नहीं करेगा, प्रकाशित करने की अनुमति नहीं देगा, या प्रकट नहीं करेगा। किसी भी गोपनीय जानकारी के प्रकटीकरण के परिणामस्वरूप बैंक को हुए किसी भी नुकसान के लिए वह बैंक को क्षतिपूर्ति करेगा। उपरोक्त का पालन न करने पर इसे अनुबंध का उल्लंघन माना जाएगा और बैंक क्षतिपूर्ति का दावा करने तथा कानूनी उपाय करने का हकदार होगा।</p>
	<p><b>ई. वैधानिक आवश्यकताओं का पालन</b></p>
8	<p>8.1 विनियमों का अनुपालन अर्थात्, केंद्र सरकार न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, बोनस अधिनियम, नियोक्ता दायित्व अधिनियम, अनुबंध श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम, श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम, औद्योगिक विवाद अधिनियम, मातृत्व लाभ अधिनियम, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, इन सभी अधिनियमों के तहत बनाए गए नियम और समय-समय पर लागू राज्य और केंद्र सरकार के श्रम लाइसेंस, एजेंसी की पूरी और एकमात्र जिम्मेदारी होगी।</p>

	<p>इस संबंध में, एजेंसी बैंक को सभी दावों के विरुद्ध क्षतिपूर्ति करेगी और आवश्यक पुस्तकें, लॉग, रजिस्टर, सत्यापन, रिटर्न, रसीदें, कम्प्यूटरीकृत डेटाबेस आदि बनाए रखेगी, जो कानून और नियमों के अनुसार अनिवार्य है।</p> <p>सरकारी नियमों के अनुसार, आवश्यकतानुसार संबंधित सरकारी अधिकारी/श्रम प्रवर्तन अधिकारी/क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को निरीक्षण/सत्यापन हेतु उपलब्ध कराएँ। वैधानिक प्राधिकारियों को किए गए सभी अनुपालनों, विवरणों और भुगतानों आदि की एक प्रति, पंजीकरण संख्या सहित, बैंक प्राधिकारी को सत्यापन और अभिलेख हेतु, जब भी माँग की जाए, उपलब्ध कराई जाएगी।</p>
	<b>एफ. यौन उत्पीड़न की रोकथाम</b>
9	<p>9.1 सफल निविदाकार/एजेंसी "कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013" के प्रावधानों का पूर्णतः पालन करने के लिए पूर्णतः उत्तरदायी होगी। बैंक परिसर में अपने किसी कर्मचारी के विरुद्ध यौन उत्पीड़न की शिकायत प्राप्त होने पर, निविदाकार/एजेंसी द्वारा गठित आंतरिक शिकायत समिति के समक्ष शिकायत दर्ज की जाएगी और निविदाकार/एजेंसी शिकायत के संबंध में उक्त अधिनियम के अंतर्गत उचित कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। सफल निविदाकार, जहाँ भी लागू हो, इस प्रयोजन के लिए आंतरिक शिकायत समिति के गठन की पुष्टि करेगा।</p> <p>9.2 सफल निविदाकार के किसी भी पीड़ित कर्मचारी द्वारा बैंक के किसी भी कर्मचारी के विरुद्ध यौन उत्पीड़न की किसी भी शिकायत का संज्ञान बैंक द्वारा गठित क्षेत्रीय शिकायत समिति द्वारा लिया जाएगा।</p> <p>9.3 सफल निविदाकार किसी भी मौद्रिक मुआवजे के लिए जिम्मेदार होगा, जिसका भुगतान उस स्थिति में किया जाना आवश्यक हो सकता है, जब घटना में निविदाकार के कर्मचारी शामिल हों, उदाहरण के लिए, बैंक के कर्मचारी को कोई मौद्रिक राहत, यदि सफल निविदाकार के कर्मचारी द्वारा यौन हिंसा साबित हो जाती है।</p> <p>9.4 सफल निविदाकार अपने कर्मचारियों को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम और संबंधित मुद्दों के बारे में शिक्षित करने के लिए जिम्मेदार होगा।</p> <p>9.5 सफल निविदाकार को तिमाही आधार पर (प्रत्येक तिमाही के अंत से 15 दिनों के भीतर या नियुक्ति/तैनाती की तारीख से) बैंक की विभिन्न सुविधाओं में तैनात अपने कर्मचारियों की पूर्ण और अद्यतन सूची उपलब्ध करानी होगी।</p>
	<b>जी. बैंक के अधिकार</b>
10	<p>10.1 बैंक निविदा उपलब्धता की अवधि और/या बोलियों के खुलने की तिथि को बढ़ाने का अधिकार सुरक्षित रखता है।</p> <p>10.2 बैंक किसी भी/सभी आवेदनों को स्वीकार या अस्वीकार करने या बिना किसी दायित्व या कोई कारण बताए योग्यता की प्रक्रिया को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।</p>

	<p>10.3 बैंक बिना कोई कारण बताए कार्य का दायरा एक से अधिक एजेंसियों/एजेंसियों को विभाजित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। इस संबंध में किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा।</p> <p>10.4 यहां निर्दिष्ट नियम व शर्तें प्रकृति में सांकेतिक हैं और यह बैंक को सफल बोलीदाता के साथ समझौते के निष्पादन के समय बोलीदाता पर ऐसे अतिरिक्त या अन्य नियमों व शर्तों पर सहमत होने के लिए बाध्य करने या इसमें निहित नियमों व शर्तों को बदलने, संशोधित करने या छोड़ने से नहीं रोकेगा, जैसा कि इस निविदा के तहत दिए जा रहे कार्य के उचित और उचित निष्पादन के लिए आवश्यक माना जाता है।</p> <p>10.5 सेवा प्रदाता/ठेकेदार/विक्रेता या उसके एजेंट/कर्मचारी यदि यहां उल्लिखित नियमों और शर्तों का उल्लंघन करते हैं और/या असंतोषजनक सेवाएं प्रदान करते हैं, तो बैंक की राय में, बिना किसी नोटिस या इसके बदले में किसी मुआवजे के, तुरंत दंड और/या अनुबंध की समाप्ति के लिए उत्तरदायी होंगे।</p> <p>10.6 उपरोक्त किसी भी प्रतिकूल प्रभाव के बिना, अनुबंध अवधि के दौरान, <b>किसी भी पक्ष द्वारा तीन (3) महीने के नोटिस</b> पर अनुबंध समाप्त किया जा सकता है। सेवा प्रदाता/ठेकेदार/विक्रेता के दिवालिया होने की स्थिति में, उसके साथ किए गए समझौते समाप्त हो जाएंगे।</p>
--	---

#### **एच. विवाद समाधान**

11	<p>11.1 यह ध्यान रखना आवश्यक है कि इस निविदा की शर्तों और नियमों पर किसी भी/सभी विवादों के मामले में, निविदा दस्तावेज का अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा (यदि निविदा अंग्रेजी और किसी अन्य भाषा में एक साथ जारी की जाती है)।</p> <p>11.2 समझौते के अंतर्गत किसी भी प्रकार के सभी विवाद और मतभेद एकमात्र मध्यस्थ अर्थात् क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक, हैदराबाद को भेजे जाएंगे और उनका लिखित निर्णय अंतिम होगा और सेवा प्रदाता/ठेकेदार/विक्रेता पर बाध्यकारी होगा। हालाँकि, मध्यस्थता के माध्यम से न सुलझाए गए किसी भी विवाद/मुद्दे के लिए, कानूनी क्षेत्राधिकार केवल हैदराबाद होगा। किसी भी कानूनी विवाद को आपसी सहमति से निपटाने के लिए वैकल्पिक निपटान विधियों का उपयोग किया जा सकता है।</p>
----	---

#### **I. अप्रत्याशित घटना**

12	<p>12.1 इस दस्तावेज़ में निहित किसी भी अन्य बात के होते हुए भी, कोई भी पक्ष इसके अंतर्गत अपने दायित्वों को पूरा करने में किसी भी देरी के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, यदि ऐसी देरी उसके उचित नियंत्रण से परे परिस्थितियों के कारण होती है (जिसमें बिना किसी सीमा के सरकार के कृत्यों, दैवीय कृत्यों, प्राकृतिक या सामाजिक आपदाओं, हड़तालों, किसी क्षेत्र में दंगों, नेटवर्क विफलता, आतंकवादी हमले, युद्ध (घोषित और अघोषित) के कारण हुई देरी शामिल है) बशर्ते कि सेवा प्रदाता/ठेकेदार/विक्रेता द्वारा की गई कोई भी देरी उस पक्ष को देरी के लिए उत्तरदायित्व से मुक्त नहीं करेगी, सिवाय इसके कि ऐसी देरी संबंधित सेवा प्रदाता/ठेकेदार/विक्रेता के उचित नियंत्रण से परे हो।</p>
----	--

#### **जे. अस्वीकरण**

13	<p>13.1 यद्यपि इस दस्तावेज़ को तैयार करते समय पर्याप्त सावधानी बरती गई है, फिर भी निविदाकार यह सुनिश्चित करेंगे कि दस्तावेज़ सभी प्रकार से पूर्ण है। किसी भी विसंगति की सूचना इस कार्यालय को तुरंत दी जानी चाहिए। यदि निविदा आमंत्रण की तिथि से सात (7) दिनों के भीतर किसी भी निविदाकार से कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है, तो यह माना जाएगा कि यह दस्तावेज़ सभी प्रकार से पूर्ण है।</p> <p>13.2 बैंक सभी प्रारूपों और अनुलग्नों सहित इस दस्तावेज़ को संशोधित, संशोधित या पूरक करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।</p> <p>13.3 यद्यपि यह दस्तावेज़ सद्भावनापूर्वक तैयार किया गया है, फिर भी न तो बैंक और न ही उनके कर्मचारी या सलाहकार इसमें दिए गए किसी कथन या चूक, या सूचना की सटीकता, पूर्णता या विश्वसनीयता के संबंध में कोई प्रतिनिधित्व या वारंटी, व्यक्त या निहित, देते हैं, या कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार करते हैं, और इस दस्तावेज़ की सटीकता, विश्वसनीयता या पूर्णता के संबंध में किसी भी कानून, कानून, नियम या विनियमन के तहत कोई देयता नहीं लेंगे, भले ही उनकी ओर से किसी कार्य या चूक के कारण कोई हानि या क्षति हुई हो।</p>
14	<p><b>K. गोपनीयता कथन</b></p>
	<p>14.1 इस निविदा दस्तावेज़ में निहित या बाद में निविदाकार(कों) को बैंक या उसके किसी कर्मचारी द्वारा मौखिक रूप से या दस्तावेज़ी रूप में प्रदान की गई जानकारी, इस निविदा दस्तावेज़ में निर्धारित नियमों और शर्तों और अन्य सभी नियमों और शर्तों के अधीन होगी, जिनके अधीन ऐसी जानकारी प्रदान की जाती है।</p> <p>14.2 इस निविदा दस्तावेज़ का उद्देश्य निविदाकार(ओं) को उनके प्रस्ताव तैयार करने में सहायता के लिए जानकारी प्रदान करना है।</p> <p>14.3 इस निविदा दस्तावेज़ में प्रत्येक निविदाकार के लिए अपेक्षित सभी जानकारी शामिल करने का दावा नहीं किया गया है।</p> <p>14.4 यह निविदा दस्तावेज़ सभी व्यक्तियों के लिए उपयुक्त नहीं हो सकता है, तथा बैंक और/या उसके कर्मचारियों के लिए इस निविदा दस्तावेज़ को पढ़ने या उपयोग करने वाले प्रत्येक बोलीदाता के निवेश उद्देश्यों, वित्तीय स्थिति और विशेष आवश्यकताओं पर विचार करना संभव नहीं है।</p>
	<p>14.5 प्रत्येक निविदाकार को अपनी स्वयं की जांच और विश्लेषण करना चाहिए तथा इस निविदा दस्तावेज़ में दी गई जानकारी की सटीकता, विश्वसनीयता और पूर्णता की जांच करनी चाहिए और जहां आवश्यक हो, उचित स्रोतों से स्वतंत्र सलाह प्राप्त करनी चाहिए।</p> <p>14.6 बैंक और कर्मचारी निविदा दस्तावेज़ की सटीकता, विश्वसनीयता या पूर्णता के संबंध में किसी कानून, संविधि, नियम या विनियमन के तहत कोई प्रतिनिधित्व या वारंटी नहीं देते हैं और न ही कोई दायित्व वहन करेंगे।</p> <p>14.7 यह दस्तावेज़ और इसमें दी गई जानकारी गोपनीय है और केवल निविदाकार(ओं) के उपयोग के लिए है।</p>

**खंड V.2: अनुबंध की विशिष्ट शर्तें (एससीसी)**

11.1	यदि अनुबंध प्रदान किया जाता है तो यह प्रारंभ में 01 जुलाई, 2025 से 31 मार्च, 2026 तक की अवधि के लिए वैध होगा। बैंक आपसी सहमति से तय शर्तों पर अनुबंध की अवधि को दो वर्ष (एक बार में एक वर्ष) तक बढ़ाने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
1.2	<p>सफल निविदाकार बैंक द्वारा निर्धारित स्थान पर बैंक परिसर में छह मशीनें स्थापित करेगा और मशीनों के <b>संचालन के लिए दो कर्मचारियों की व्यवस्था करेगा</b>। बैंक में कॉफ़ी/चाय परोसने का कार्य समय सामान्यतः सोमवार से शुक्रवार और सभी कार्यदिवसों (दूसरे और चौथे शनिवार को छोड़कर) पर सुबह <b>9:45 बजे से शाम 5:45 बजे तक</b> रहेगा। बैंक द्वारा तय अतिरिक्त मशीन की स्थापना और कर्मचारियों की उपलब्धता की सूचना विक्रेता को दी जाएगी और उन्हें उद्धृत दर पर ही उपलब्ध कराया जाना चाहिए। चाय / कॉफ़ी वेंडिंग मशीन, चाय / कॉफ़ी की विशिष्ट गुणवत्ता / मात्रा आदि प्रदान करने के लिए अतिरिक्त आवश्यकताओं, यदि कोई हो, की दरें आपसी सहमति से तय की जा सकती हैं।</p> <p>1.2 (ए) जनशक्ति - <b>जनशक्ति की व्यवस्था केवल निविदाकार द्वारा की जाएगी</b>। निविदाकार इस समझौते के तहत जनशक्ति को केंद्र सरकार की न्यूनतम मजदूरी (मासिक) का भुगतान करेगा, जो समय-समय पर भारत सरकार, श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा अधिसूचित दरों पर आधारित होगी। <b>मासिक वेतन के साथ, ईपीएफओ, ईएसआईसी अंशदान, जैसा लागू हो और अन्य वैधानिक प्रावधानों का भुगतान जनशक्ति को/के लिए अनिवार्य रूप से किया जा सकता है</b>। निविदाकार जनशक्ति द्वारा निरंतर सेवा प्रदान करने के लिए जिम्मेदार होगा और किसी भी कार्यबल की अनुपस्थिति में, एक उपयुक्त विकल्प तैनात किया जाएगा। <b>कृपया ध्यान दें कि निविदाकार वित्तीय बोली में जनशक्ति लागत सहित दरें उद्धृत करेगा।</b></p> <p>1.2 (बी) निविदाकार को इस आशय का एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उसने प्रदत्त कार्य/कार्य / परियोजना को पूरा करने के लिए नियोजित श्रमशक्ति का समस्त बकाया भुगतान न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अंतर्गत निर्धारित दर से कम नहीं किया है और उसने ठेका श्रमिकों को आवश्यक सुविधाएँ प्रदान करने के संबंध में सीएलआरए अधिनियम के प्रावधानों का पालन किया है। इसके अतिरिक्त, वह ऐसे प्रमाण पत्र की सत्यता की पुष्टि और प्रमाणन के लिए बैंक के प्रतिनिधि की सहायता ले सकता है। ठेकेदार को वेतन, ईएसआई, पीएफ आदि के भुगतान से संबंधित आवश्यक दस्तावेज़, बैंक द्वारा वांछित चालान के साथ प्रस्तुत करने होंगे।</p>
1.3	निविदाकार / निविदाकार का प्रतिनिधि सुचारू कार्यप्रणाली के लिए समन्वयक के रूप में भी कार्य करेगा तथा सेवा, तैनाती आदि से संबंधित सभी मुद्दों के लिए बैंक के साथ समन्वय करेगा।
1.4	बैंक के सभी अनुभाग सोमवार से शुक्रवार और सभी कार्यदिवसों (दूसरे और चौथे शनिवार को छोड़कर) को खुले रहेंगे। कॉफ़ी/चाय उपलब्ध कराने के लिए बैंक का कार्य समय सामान्यतः सोमवार से शुक्रवार और सभी कार्यदिवसों (दूसरे और चौथे शनिवार को छोड़कर) को सुबह 9:30 बजे से शाम 5:45 बजे तक रहेगा। बैंक, राज्य सरकार द्वारा परक्राम्य लिखत अधिनियम के

	अंतर्गत घोषित सभी सार्वजनिक अवकाशों का पालन करता है। हालाँकि, बैंक की आवश्यकता के अनुसार, इसे छुट्टियों के दिनों में भी खुला रखा जाएगा।
1.5	<b>प्रति कप कॉफ़ी / चाय की मात्रा 150 मिलीलीटर होगी (कप का आकार 150 मिलीलीटर होगा)।</b> अतिरिक्त आवश्यकताएँ, जैसे बायोडिग्रेडेबल कप, विक्रेता द्वारा उपलब्ध कराए जाएँगे। चाय और कॉफ़ी में ताज़ा दूध और पानी का प्रतिशत बैंक के विनिर्देशों के अनुसार होगा। दैनिक उपभोग रिपोर्ट सहायक प्रबंधक, कल्याण डेस्क, भारतीय रिज़र्व बैंक, हैदराबाद को प्रस्तुत की जाएगी।
1.6	<b>वेंडिंग मशीन की तकनीकी आवश्यकताएँ :</b> I) चाय / कॉफ़ी वितरण प्रणाली स्वचालित होगी और इसमें वेंडिंग मशीन के माध्यम से वितरण से पहले दूध को उबालने के लिए वेंडिंग मशीन (वीएम) के अतिरिक्त एक अलग कक्ष होगा। II) दूध उबालने का कक्ष वीएम से जुड़ा होना चाहिए तथा कक्ष से वीएम द्वारा उबले हुए दूध को लेने में किसी प्रकार का मानवीय हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। III) दूध उबालने वाले कक्ष में स्वचालित कट ऑफ तापमान नियंत्रक लगा होना चाहिए, अधिमानतः माइक्रोप्रोसेसर नियंत्रक का उपयोग किया जाना चाहिए। IV) चाय / कॉफ़ी वितरण प्रणाली की तकनीक कॉफ़ी और चाय को उबालकर तैयार की जानी चाहिए। वीएम एक साथ चाय और कॉफ़ी वितरित करेगा। V) वीएम में पेय पदार्थों के उपयोग और वितरण मात्रा की निगरानी के लिए प्रोग्रामयोग्य इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण शामिल होगा। VI) <b>वीएम गर्म दूध, चाय (मानक और मजबूत), काली चाय, कॉफ़ी (मानक और मजबूत) और गर्म पानी जैसे पेय पदार्थ वितरित करेगा।</b>
1.7	कोटेशन में प्रस्तावित सभी प्रकार की चाय (मसाला, इलायची, नींबू, अदरक आदि) और ग्रीन टी का पर्याप्त स्टॉक निविदाकार द्वारा बनाए रखा जाएगा और आपूर्ति की जाएगी।
1.8	पेय पदार्थ अच्छे बायोडिग्रेडेबल पेपर कप में अच्छी गुणवत्ता वाले स्टिरर के साथ परोसे जाएँगे। ये वस्तुएँ निविदाकार द्वारा उपलब्ध कराई जाएँगी।
1.9	मशीन का रखरखाव करने वाला व्यक्ति स्थापित मशीन की प्रतिदिन सफाई करेगा। मशीन का निवारक रखरखाव निविदाकार द्वारा अपने खर्च पर साप्ताहिक आधार पर किया जाएगा। निविदाकार यह सुनिश्चित करेगा कि मशीन की नियमित सफाई हो और स्वच्छता मानकों का पालन किया जाए। निविदाकार यह सुनिश्चित करेगा कि मशीन निर्बाध रूप से चलती रहे।
1.10	निविदाकार, संचालकों / कर्मचारियों को व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखने के लिए सैनिटाइज़र, मास्क, दस्ताने उपलब्ध करा सकता है। विक्रेता के कर्मचारी व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखेंगे।

<p>1.11 निविदाकार अपने कार्यबल (इस उद्देश्य के लिए तैनात) का चिकित्सा परीक्षण करवाएगा। यह सुनिश्चित करेगा कि कॉफी/चाय बनाने में तैनात कर्मचारी किसी भी संक्रामक या संचारी रोग से मुक्त हों और उनकी नियमित स्वास्थ्य जाँच (वर्ष में दो बार) की व्यवस्था करेगा। स्वास्थ्य जाँच का खर्च एजेंसी द्वारा वहन किया जाएगा, न कि RBI द्वारा। इस संबंध में दस्तावेज़ी साक्ष्य अनुबंध प्रारंभ होने की तिथि से 15 कार्यदिवसों के भीतर और उसके बाद प्रत्येक वर्ष सितंबर और अप्रैल में बैंक को प्रस्तुत किए जाने चाहिए।</p> <p>1.12 नये कर्मचारी के कार्य प्रारंभ करने के एक पखवाड़े के भीतर।</p> <p>1.13 अर्धवार्षिक जांच के एक पखवाड़े के भीतर।</p>
<p>1.14 बैंक चाय और कॉफी के लिए पानी, वैंडिंग मशीनों की स्थापना और संचालन के लिए विद्युत प्वाइंट, सामग्री के भंडारण के लिए स्थान उपलब्ध कराएगा।</p>
<p>1.15 बैंक विक्रेता को देय राशि से स्रोत पर कर तथा समय-समय पर लागू सभी अन्य करों, शुल्कों की कटौती करेगा।</p>
<p>1.16 निविदाकार को भारतीय रिज़र्व बैंक, हैदराबाद के परिसर में तैनात किए जाने वाले अपने कर्मचारियों के नाम, निवास का पता, आयु आदि जैसे विवरण, साथ ही उनकी नवीनतम तस्वीर भी प्रस्तुत करनी होगी। कार्य हेतु तैनात सेवा प्रदाता/ठेकेदार/विक्रेता के कर्मचारियों की उचित पहचान के लिए, उन्हें वर्दी और पहचान पत्र जारी किए जाएँगे जिन पर उनकी तस्वीर/पहचान आदि अंकित होगी और ऐसे कर्मचारी बैंक परिसर में अपनी उपस्थिति के दौरान हर समय अपने पहचान पत्र प्रदर्शित करेंगे।</p>
<p>1.17 निविदाकार को अपने कार्यबल (इस उद्देश्य के लिए तैनात किए जाने वाले) का पुलिस सत्यापन कराने की एक प्रक्रिया अपनानी होगी और वह उनके आचरण/अनियमित व्यवहार के लिए उत्तरदायी होगा। पुलिस सत्यापन रिपोर्ट की एक प्रति कार्य प्रारंभ होने के एक महीने के भीतर या आरबीआई परिसर में नए कार्यबल की नियुक्ति के तुरंत बाद मानव संसाधन विकास मंत्रालय, हैदराबाद को प्रस्तुत की जाएगी।</p>
<p>1.18 उपर्युक्त सेवाओं के लिए निविदाकार द्वारा तैनात व्यक्ति सभी उद्देश्यों और प्रयोजनों के लिए निविदाकार के कर्मचारी होंगे और तैनात व्यक्ति निविदाकार के नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अधीन रहेगा और किसी भी स्थिति में, उक्त व्यक्ति और आरबीआई, हैदराबाद के बीच नियोक्ता और कर्मचारी का संबंध निहित या प्रत्यक्ष रूप से अर्जित/उत्पन्न नहीं होगा। यह सुनिश्चित करना निविदाकार की जिम्मेदारी होगी कि इस मामले में कोई भी देयता किसी भी तरह से आरबीआई, हैदराबाद पर नहीं आनी चाहिए। निविदाकार तैनात व्यक्ति से इसे समझने की घोषणा प्राप्त करेगा और यह भी वचन देगा कि वे आरबीआई, हैदराबाद के खिलाफ ऐसा कोई दावा नहीं करेंगे और घोषणा और वचन बैंक को प्रस्तुत करेंगे। तैनात व्यक्ति को बैंक में रोजगार का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा।</p>
<p>1.19 यदि निविदाकार द्वारा तैनात कोई भी व्यक्ति निविदाकार द्वारा घोषित, निहित या स्पष्ट रूप से दर्शाई गई दक्षता के मानकों पर खरा नहीं उतरता है या अपने कर्तव्यों का ठीक से पालन नहीं करता है या कदाचार करता है या किसी भी गैरकानूनी कार्य या अव्यवस्थित आचरण में लिप्त होता है, तो निविदाकार ऐसे व्यक्ति/व्यक्तियों को तुरंत हटा देगा और इस संबंध में</p>

	आरबीआई, हैदराबाद से रिपोर्ट प्राप्त होने पर उनके विरुद्ध उचित कार्रवाई करेगा। इसके अलावा, निविदाकार आरबीआई, हैदराबाद की किसी भी मांग के बिना भी ऐसे व्यक्ति/व्यक्तियों को तुरंत बदल देगा।
1.20	निविदाकार अपनी ओर से या अपने कर्मचारियों/एजेंटों की ओर से बैंक के लोगों और/या संपत्ति को किसी भी कार्य या चूक के कारण हुई हानि या क्षति के लिए जिम्मेदार होगा तथा उसकी भरपाई करेगा।
1.21	निविदाकार द्वारा प्रस्तुत निष्पादन बैंक गारंटी, निविदाकार के असंतोषजनक निष्पादन और/या तैनात श्रमिकों की विफलता या लापरवाही के कारण आरबीआई, हैदराबाद को हुई हानि/क्षति, यदि कोई हो, या विक्रेता द्वारा समझौते के उल्लंघन की स्थिति में लागू की जाएगी।
1.22	निविदाकार समय-समय पर मजदूरी के भुगतान के संबंध में सरकार द्वारा जारी अधिसूचनाओं और मजदूरी के भुगतान से संबंधित कानूनों की आवश्यकताओं और संबंधित अधिकारियों को आवधिक रिटर्न प्रस्तुत करने का अनुपालन करेगा या कराएगा। निविदाकार भारत सरकार द्वारा अधिसूचित न्यूनतम मजदूरी और अन्य सभी देय राशि का भुगतान करेगा, जिसे तैनात व्यक्ति न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 और भारत सरकार, श्रम मंत्रालय द्वारा समय-समय पर निर्धारित अन्य प्रासंगिक वैधानिक अधिनियमों के प्रावधानों के तहत प्राप्त करने का हकदार है और बैंक के परिसर में तैनात व्यक्ति के लिए न्यूनतम मजदूरी के भुगतान पर मासिक अनुपालन प्रमाण पत्र (भुगतान की गई मजदूरी के विवरण के साथ) प्रस्तुत करेगा। <b>निविदाकार इस अनुबंध के तहत जनशक्ति को महीने के दौरान कार्य दिवसों की वास्तविक संख्या के अनुसार भारत सरकार, श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा अधिसूचित दरों के आधार पर मजदूरी का भुगतान करेगा।</b>
1.23	बाल श्रम (निषेध एवं विनियमन) अधिनियम 1986 के अनुसार विक्रेता 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को काम पर नहीं रखेगा।
1.24	निविदाकार किसी भी गैरकानूनी दंगे या अव्यवस्थित आचरण या अपने कर्मचारियों के कृत्यों को रोकने के लिए सभी उचित सावधानियां बरतेगा और शांति बनाए रखने तथा भारतीय रिजर्व बैंक, हैदराबाद के व्यक्ति और संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा।
1.25	निविदाकार अनुबंध की समाप्ति पर या अनुबंध की समाप्ति पर आरबीआई, हैदराबाद के परिसर से अपने द्वारा तैनात सभी श्रमिकों को हटा देगा और यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसा कोई भी व्यक्ति आरबीआई, हैदराबाद में किसी भी प्रकार का कोई व्यवधान/बाधा/समस्या स्पष्ट रूप से या निहित रूप से उत्पन्न नहीं करेगा।
1.26	निविदाकार, विक्रेता द्वारा तैनात कर्मचारियों के संबंध में सभी दावों के विरुद्ध आरबीआई, हैदराबाद को क्षतिपूर्ति प्रदान करेगा। यदि निविदाकार का कोई भी कर्मचारी किसी भी प्रकार के विवाद में उलझता है, तो उसका विरोध करना निविदाकार की प्राथमिक जिम्मेदारी होगी। यदि आरबीआई, हैदराबाद को पक्ष बनाया जाता है और उसे मामले का विरोध करना होता है, तो आरबीआई, हैदराबाद को वकील शुल्क और अन्य खर्चों पर हुए/होने वाले वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति की जाएगी, जिसका भुगतान निविदाकार द्वारा आरबीआई, हैदराबाद को मांग किए जाने पर अग्रिम रूप से किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, निविदाकार यह सुनिश्चित करेगा कि आरबीआई, हैदराबाद पर किसी भी प्रकार की कोई वित्तीय या अन्य देयता न आए और इस संबंध में आरबीआई, हैदराबाद को क्षतिपूर्ति प्रदान करेगा।

	1.27 निविदाकार यह सुनिश्चित करेगा कि उसके द्वारा तैनात व्यक्ति आरबीआई, हैदराबाद के नामित अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित गेट पास के बिना आरबीआई परिसर से कोई भी वस्तु/सामग्री बाहर नहीं ले जाएगा।
	1.28 निविदाकार द्वारा नियोजित व्यक्ति निविदाकार के कर्मचारी होंगे और न तो निविदाकार और न ही उसके कर्मचारियों को बैंक में किसी भी प्रकार की नौकरी का दावा करने का अधिकार होगा। निविदाकार/कार्य के लिए नियुक्त व्यक्तियों और बैंक के बीच कोई नियोक्ता-कर्मचारी संबंध नहीं होगा।
	1.29 सफल निविदाकार, निविदाकार के कर्मचारियों से संबंधित किसी दुर्घटना के मामले में भुगतान किए जाने वाले किसी भी मौद्रिक मुआवजे के लिए जिम्मेदार होगा।
	<p><b>1.30 समाप्ति नीति :</b></p> <p>क) यदि किसी भी प्रकार की सेवा में गिरावट/दिवालियापन, खराब/कमी वाली सेवा, अनियमित गतिविधियाँ, खाद्य पदार्थों, सामग्री, स्वच्छता आदि की गुणवत्ता में असंतोषजनक/कमी पाई जाती है, तो बैंक जुर्माना लगाने और <b>10</b> दिन के नोटिस पर अनुबंध समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। इस संबंध में किसी भी विवाद की स्थिति में, बैंक का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा। ऐसी स्थिति में, कैटरर द्वारा जमा की गई सुरक्षा राशि जब्त कर ली जाएगी।</p> <p>ख) बैंक बिना कोई कारण बताए <b>30 दिन</b> का नोटिस देकर अनुबंध समाप्त करने का अधिकार भी सुरक्षित रखता है।</p> <p>ग) <b>पारस्परिक समाप्ति:</b> जो निविदाकार आपसी सहमति से अनुबंध समाप्त करना चाहता है, उसे कारण बताते हुए सूचना देनी होगी। बैंक द्वारा स्वीकृति मिलने पर, बैंक द्वारा स्वीकृति के 30 दिनों के बाद अनुबंध पारस्परिक रूप से समाप्त किया जा सकता है।</p>
	1.31 यदि बैंक को, प्रधान नियोक्ता के रूप में, निविदाकार द्वारा नियोजित ठेका मजदूरों को किसी भी कानून के तहत ठेका मजदूरों के प्रति दायित्वों के निर्वहन में चूक या चूक के कारण कोई राशि का भुगतान करने के लिए कहा जाता है, तो निविदाकार बैंक को भुगतान की गई ऐसी राशि की प्रतिपूर्ति करने के लिए उत्तरदायी होगा।
	<p>1.32 <b>व्यक्ति और संपत्ति को हुए नुकसान के संबंध में बीमा :</b> ठेकेदार, व्यक्तियों, वस्तुओं को हुई सभी चोटों या क्षति और संपत्ति को हुए सभी नुकसान के लिए जिम्मेदार होगा जो ठेकेदार या उसके किसी कर्मचारी की ओर से किसी भी चूक के कारण हो सकता है। ठेकेदार, नियोक्ता को क्षतिपूर्ति करेगा और क्षतिपूर्ति करता रहेगा तथा उसे उपरोक्त किसी व्यक्ति या संपत्ति को हुई चोट या क्षति से उत्पन्न होने वाले सभी और किसी भी नुकसान और व्यय के संबंध में, और किसी भी कानून के तहत या अन्यथा, चोट या क्षति के संबंध में किए गए किसी भी दावे के विरुद्ध, और ऐसे दावों के परिणामस्वरूप किसी भी पुरस्कार, मुआवजे या क्षति के संबंध में, क्षतिपूर्ति करेगा और क्षतिपूर्ति करता रहेगा।</p> <p>क) ठेकेदार, अपने स्वयं के व्यय पर, नियोक्ता द्वारा अनुमोदित एक बीमा कंपनी के साथ, इस अनुबंध के तहत आभासी पूर्णता प्रमाण पत्र जारी होने तक, ठेकेदारों के लिए सभी जोखिम नीति के खिलाफ नियोक्ता और ठेकेदार के संयुक्त नामों (भारतीय रिजर्व बैंक, हैदराबाद का नाम, नीति में पहले रखा गया है) में अनुबंध की पूरी राशि के लिए बीमा के लिए एक सभी</p>

जोखिम नीति को प्रभावी और बनाए रखेगा और काम शुरू करने से पहले नियोक्ता के पास ऐसी नीति या पॉलिसियों को जमा करेगा ।

ख) ठेकेदार, नियोक्ता के विरुद्ध किसी भी व्यक्ति द्वारा कार्यों के संबंध में या उसके परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाली किसी भी बात के संबंध में किए जाने वाले सभी दावों के विरुद्ध नियोक्ता को क्षतिपूर्ति प्रदान करेगा और क्षतिपूर्ति प्रदान करता रहेगा और अपने स्वयं के व्यय पर , नियोक्ता द्वारा अनुमोदित किसी बीमा कंपनी के साथ , नियोक्ता और ठेकेदार के संयुक्त नामों (पॉलिसी में भारतीय रिज़र्व बैंक, हैदराबाद का नाम पहले स्थान पर रखा जाएगा) में ऐसे जोखिम के विरुद्ध एक बीमा पॉलिसी को प्रभावी बनाएगा और अनुबंध के वास्तविक समापन तक बनाए रखेगा और कार्य प्रारंभ होने से पहले ऐसी पॉलिसी या पॉलिसियों को जमा कर देगा । पॉलिसी के अंतर्गत कवरेज की न्यूनतम सीमा किसी एक दुर्घटना या घटना के लिए प्रति व्यक्ति ₹2

लाख और किसी एक दुर्घटना या घटना के लिए संपत्ति के नुकसान के संबंध में ₹5 लाख होगी , जिसकी कुल सीमा ₹7 लाख होगी । ठेकेदार नियोक्ता को उन सभी दावों के विरुद्ध क्षतिपूर्ति भी करेगा जो नियोक्ता पर किए जा सकते हैं, चाहे वे कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम के तहत हों या किसी अन्य लागू कानून के तहत, इस अनुबंध की अवधि के दौरान या ठेकेदार के किसी भी कर्मचारी के संबंध में सामान्य कानून के तहत और अनुबंध के वास्तविक समापन तक या नियोक्ता द्वारा अनुमोदित बीमा कंपनी के साथ अपने स्वयं के खर्च पर एक पॉलिसी लागू करेगा और बनाए रखेगा । ऐसे जोखिमों के विरुद्ध बीमा की व्यवस्था करें तथा इस अनुबंध की अवधि के दौरान समय-समय पर ऐसी पॉलिसी या पॉलिसियों को नियोक्ता के पास जमा करें ।

ग) ठेकेदार द्वारा उपरोक्त प्रावधान के अनुसार बीमा कराने में चूक होने पर, नियोक्ता ऐसा बीमा कर सकता है तथा भुगतान किए गए प्रीमियम को ठेकेदार को देय या देय होने वाली किसी भी धनराशि से काट सकता है।

घ) ठेकेदार किसी भी देयता के लिए जिम्मेदार होगा जो ऊपर उल्लिखित बीमा पॉलिसियों द्वारा कवर नहीं की जाती है और किसी भी व्यक्ति, पशु या इस अनुबंध के दोषपूर्ण निष्पादन के कारण होने वाली अन्य सभी क्षतियों के लिए भी जिम्मेदार होगा , चाहे वह क्षति किसी भी कारण से हुई हो।

इ) ठेकेदार , कार्य से संबंधित किसी दावे या कार्यवाही से उत्पन्न होने वाली सभी लागतों, प्रभारों या खर्चों के विरुद्ध तथा उससे उत्पन्न होने वाली किसी क्षति या मुआवजे के संबंध में भी नियोक्ता को क्षतिपूर्ति करेगा और क्षतिपूर्ति करता रहेगा ।

(च) ऐसी चूक के संबंध में ठेकेदार के विरुद्ध नियोक्ता के अन्य अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, नियोक्ता ठेकेदार को देय किसी भी राशि से नियोक्ता द्वारा भुगतान की गई किसी भी क्षति, क्षतिपूर्ति लागत, प्रभार और अन्य व्यय की राशि को काटने का हकदार होगा, जो इस खंड के तहत ठेकेदार को देय हैं।

## खंड VI: मानक फॉर्मेट

फॉर्म 1	तकनीकी बोली का विवरण
अनुलग्नक 1	बैंकर का विवरण
अनुलग्नक 2	बैंकर्स प्रमाणपत्र
अनुलग्नक 3	ग्राहक का प्रमाणपत्र
अनुलग्नक 4	ग्राहकों का विवरण
फॉर्म 2	वित्तीय बोली का विवरण
अनुलग्नक 5	L1 बिडर के चुनाव का एक उदाहरण
फॉर्म 3	प्रदर्शन बैंक गारंटी का प्रोफार्मा

# भाग I – तकनीकी बोली

निविदाकार का नाम: \_\_\_\_\_

पता:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

संपर्क संख्या: \_\_\_\_\_

## निविदाकार द्वारा तकनीकी बोली

(आवेदक के पत्र शीर्ष पर दिया जाए)

निविदाकार का नाम:

पता:

क्र.सं.	विवरण	निविदाकार द्वारा भरा जाने वाला विवरण
1.	संगठन का नाम	
2.	<p>(क) संगठन का प्रकार - (क्या स्वामित्व / साझेदारी / एलएलपी / प्राइवेट लिमिटेड / लिमिटेड कंपनी / फर्म)।</p> <p>(ख) स्थापना की तिथि</p> <p>(ग) पंजीकरण का विवरण (फर्म, कंपनी आदि), पंजीकरण प्राधिकारी, दिनांक, संख्या आदि (एकमात्र स्वामित्व के मामले में लागू नहीं)।</p> <p>कृपया इसके समर्थन में संबंधित दस्तावेज संलग्न करें।</p>	
3.	संगठन के स्वामी/पार्टनर/निदेशक का नाम तथा पदनाम	

4.	<p>संगठन का पंजीकृत कार्यालय/व्यावसायिक पता, टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, फैक्स नंबर और ई-मेल सहित।</p> <p>(क) क्या हैदराबाद में अपना कार्यालय है।</p> <p>(ख) हैदराबाद स्थित स्थानीय कार्यालय का पता।</p> <p>(ग) प्राधिकृत अधिकारी का नाम और उसका टेलीफोन नंबर।</p> <p>कृपया इसके समर्थन में संबंधित दस्तावेज संलग्न करें।</p>	
5.	<p><b>कार्य अनुभव- पात्रता मानदंड और नियम व शर्तों में</b> उल्लिखित कार्य अनुभव का विवरण, कार्य आदेशों, दस्तावेजों और प्रमाणपत्रों द्वारा समर्थित। पूर्व अनुभव, यदि कोई हो, के दस्तावेजी साक्ष्य सहित विवरण।</p> <p>किसी भी केंद्र या सरकारी/अर्धसरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/बैंकों/बहुराष्ट्रीय कंपनियों में भारतीय रिजर्व बैंक के लिए भी इसी प्रकार की सेवाएं दी जानी चाहिए।</p>	
6.	<p>क्या पिछले तीन वित्तीय वर्षों में समान व्यवसाय में औसत वार्षिक कारोबार ₹ 25 लाख है।</p> <p>टर्नओवर के प्रमाण के रूप में सहायक दस्तावेज संलग्न किए जाने चाहिए।</p>	
7.	<p>पिछले तीन वित्तीय वर्षों का आयकर विवरणी - वित्तीय वर्ष 2021-22, वित्तीय वर्ष 2022-23 और वित्तीय वर्ष 2023-24 (स्व-सत्यापित प्रति जमा करनी होगी)</p>	
8.	<p>क्या संविदा श्रम (आर एंड ए) अधिनियम, 1970 और संविदा श्रम (विनियमन और उन्मूलन) केंद्रीय नियम, 1971 के अंतर्गत श्रम विभाग में पंजीकृत हैं। यदि हाँ, तो पंजीकरण की तिथि बताएँ। (प्रमाणपत्र/पंजीकरण की एक प्रति प्रस्तुत करें)।</p>	
9.	<p>बैंकों का नाम और पता। कृपया इस निविदा दस्तावेज़ के साथ संलग्न प्रारूप के अनुसार बैंकर से वित्तीय स्थिति के संबंध में एक प्रमाण पत्र सीलबंद लिफाफे में संलग्न करें। (अनुबंध-1 और 11)</p>	

10.	मौजूदा ग्राहकों का नाम और पता पूर्ण विवरण के साथ अनुबंध IV में दिया गया है। अनुबंध III के अनुसार कम से कम दो मौजूदा ग्राहकों से सीलबंद लिफाफों में फीडबैक आवश्यक है।	
11.	बैंक खाता (आईएफएससी कोड और खाता संख्या) जहां संगठन द्वारा भुगतान प्राप्त किया जाएगा।	
12.	क्या किसी प्राधिकारी और/या ग्राहक द्वारा ब्लैकलिस्ट किया गया है। यदि हाँ, तो उसका विवरण:	
13.	क्या समान व्यवसाय के संबंध में दंडित/दोषी ठहराया गया है? यदि हाँ, तो उसका विवरण:	

तकनीकी बोली के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले आवश्यक दस्तावेजों की प्रतियां

1. निगमन प्रमाणपत्र, कंपनी/फर्म/स्वामित्व का दुकान लाइसेंस
  2. कंपनी/फर्म/स्वामित्व की स्थापना की तिथि का समर्थन करने वाला दस्तावेज़
  3. निदेशक/मालिक/भागीदारों के नाम
  4. पंजीकृत कार्यालय का पता, फ़ोन नंबर और ई-मेल आईडी सहित
  5. हैदराबाद में स्थानीय कार्यालय के लिए पते का प्रमाण।
  6. निविदा/पावर ऑफ अटॉर्नी के लिए अधिकृत व्यक्ति का विवरण।
  7. पिछले 03 वर्षों के समान कार्य के कार्य अनुभव का दस्तावेज़।
  8. पिछले 03 वर्षों के दौरान न्यूनतम 25 लाख रुपये के कारोबार का समर्थन करने वाला दस्तावेज़।
  9. लेखापरीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरण (वित्त वर्ष 2021-22, वित्त वर्ष 2022-23 और वित्त वर्ष 2023-24)।
  10. पिछले तीन वित्तीय वर्षों अर्थात वित्त वर्ष 2021-22, वित्त वर्ष 2022-23 और वित्त वर्ष 2023-24 के आयकर रिटर्न
  11. बैंकर का विवरण (अनुबंध I )
  12. वित्तीय स्थिति पर बैंकर्स प्रमाणपत्र (अनुबंध II )
  13. ग्राहकों की सूची
  14. न्यूनतम 2 ग्राहकों से ग्राहक फीडबैक (अनुबंध III )।
  15. FSSAI द्वारा जारी खाद्य हैंडलिंग लाइसेंस
  16. जहां भी लागू हो, पैन, टिन, जीएसटी और एमएसएमई पंजीकरण की प्रति
  17. ईएसआईसी और ईपीएफओ पंजीकरण प्रमाणपत्र (अनिवार्य)
- बैंक को प्रस्तुत जानकारी का प्रमाण मांगने/सत्यापन करने का अधिकार सुरक्षित है।

**घोषणा:**

1. उपरोक्त जानकारी मेरी/हमारी जानकारी के अनुसार सत्य है और यदि कोई जानकारी असत्य या झूठी पाई जाती है, तो मुझे/हमें निविदा प्रक्रिया से/अनुबंध दिए जाने से वंचित किया जा सकता है।
2. मैं/हम बैंक द्वारा निर्धारित नियमों और शर्तों का पालन करने के लिए सहमत हूँ/हैं।
3. मैं/हम इस बात से भी सहमत हूँ/हैं कि मेरी/हमारी निविदा, निविदा के **भाग I (तकनीकी बोली)** के खुलने की तिथि से 90 दिनों तक बैंक द्वारा स्वीकृति हेतु वैध रहेगी और इस वैधता अवधि को बैंक और निविदाकार के बीच लिखित रूप में आपसी सहमति से निर्धारित अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है। मैं/हम निविदा की संपूर्ण वैधता अवधि के दौरान बयाना राशि अपने पास रखने के लिए भी सहमत हूँ/हैं।
4. मैं/हम समझते हैं कि बैंक बिना कोई कारण बताए किसी भी या सभी निविदाओं को पूर्णतः या आंशिक रूप से स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

हस्ताक्षर

निविदाकार का नाम और मुहर

अनुबंध -I

**बैंकों का विवरण**

(आवेदक के लेटरहेड पर दिया जाना है)

Particulars	बैंकर 1	बैंकर 2
शाखा का नाम और उसका पूरा डाक पता आईएफएससी और ई-मेल आईडी सहित।		
शाखा प्रबंधक/संबंध प्रबंधक का नाम और पद तथा उसका/उसकी टेलीफोन नंबर और ई-मेल आईडी		
खाते का प्रकार और खाता संख्या		
वह अवधि जिससे सेवा प्रदाता/ठेकेदार/विक्रेता/ठेकेदार/ विक्रेता बैंकर के साथ बैंकिंग कर रहा है (वर्षों की संख्या निर्दिष्ट करें)		
कोई अन्य जानकारी जो सेवा प्रदाता/ठेकेदार/विक्रेता/ ठेकेदार/विक्रेता अपने बैंकों के बारे में देना चाहे।		

**अनुसूचित बैंक से बैंकर प्रमाणपत्र का प्रारूप (निविदाकार द्वारा इसकी व्यवस्था की जाएगी)**

1. फर्म की संरचना (चाहे पार्टनरशिप/एलएलपी/प्राइवेट लिमिटेड/प्रोप्राइटरशिप/पब्लिक लिमिटेड/फर्म हो।)
2. फर्म के मालिक/भागीदारों/निदेशकों का नाम
3. फर्म का पिछले 3 वर्षों का टर्नओवर (वर्षवार)
4. फर्म द्वारा प्राप्त ऋण सुविधा/ओवरड्राफ्ट सुविधा
5. व्यवहार की प्रकृति और उस पर राय
6. वह अवधि जब से फर्म बैंक के साथ बैंकिंग कर रही है।
7. कोई अन्य टिप्पणी.
8. इस पर राय कि क्या पार्टी को वित्तीय रूप से सक्षम माना जाता है, ताकि उसे 25 लाख रुपये की अनुमानित लागत वाले कार्यों का ठेका सौंपा जा सके।

(हस्ताक्षर)

बैंक शाखा के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

टिप्पणी:

1. बैंकर्स प्रमाणपत्र बैंक के लेटर हेड पर होना चाहिए।
2. प्रमाण पत्र में बैंक में दर्ज पार्टी के सभी भागीदारों और निदेशकों के नाम शामिल होने चाहिए।

**ठेकेदार के प्रदर्शन के संबंध में ग्राहक का प्रमाणपत्र**  
(ग्राहक द्वारा अपने लेटरहेड पर सीलबंद लिफाफे में दिया जाना है)

1. ग्राहक का नाम और पता
2. श्री/मेसर्स द्वारा निष्पादित कार्यों का विवरण
3. कार्य का नाम संक्षिप्त विवरण सहित
4. अनुबंध संख्या और दिनांक
5. अनुबंध राशि
6. अनुबंध प्रारंभ होने की तिथि
7. अनुबंध की समाप्ति की तिथि
8. एजेंसी के साथ संबंध की अवधि
9. प्रदान की गई सेवाओं में कमियों के लिए लगाए गए जुर्माने का विवरण (जुर्माना लगाने की तिथि, जुर्माने की राशि और कारण)
10. अनुबंध के दौरान एजेंसी के साथ विवादों का विवरण
11. एजेंसी द्वारा सेवा की गुणवत्ता पर सामान्य प्रतिक्रिया
12. प्रदान की गई सेवाओं की रेटिंग: उत्कृष्ट/बहुत अच्छा/अच्छा/संतोषजनक/खराब
13. सिफारिश, यदि कोई हो या कोई अन्य फीडबैक

(ग्राहक के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)



# भाग ॥ – वित्तीय बोली

## वित्तीय बोली का विवरण

*नोट: निविदाकार (रों) को*

*दरें केवल एमएसटीसी पोर्टल पर ही ऑनलाइन भरनी होंगी। कृपया इस दस्तावेज़ को अपलोड न करें।*

<b>भारतीय रिज़र्व बैंक, हैदराबाद के बैंक परिसर में ताज़ा दूध/कॉफ़ी/चाय वेंडिंग मशीनों की संस्थापना और रखरखाव तथा वेंडिंग मशीनों के रखरखाव के लिए मानव संसाधन की आपूर्ति हेतु ई-निविदा।</b>		
क्र.सं.	आइटम / विवरण	प्रति कप दर
1	सादा दूध	
2	दूध वाली चाय	
3	दूध वाली चाय	
4	ब्लैक कॉफ़ी	
5	ब्लैक टी	
6	चाय – स्वादयुक्त (मसाला, इलायची, नींबू, अदरक, ग्रीन टी, आदि)	
	<b>कुल (क्र.सं. 1 से 6 जीएसटी को छोड़कर) =</b>	
	<b>औसत = कुल (Sl. No 1 to 6) /6</b>	

*\*कृपया [अनुलग्नक V](#) देखें जिसमें वित्तीय बोली का नमूना मूल्यांकन और एल 1 बोलीदाता के चयन की प्रक्रिया दी गई है।*

**नोट:** लगभग 16000 कप चाय/कॉफ़ी की मासिक खपत होती है। कोट किए गए मूल्य में सभी सामग्री, जैसे बायोडिग्रेडेबल कप, लकड़ी के स्टिरर, ताज़ा दूध, चीनी के पैकेट /क्यूब्स, टी बैग, कॉफ़ी बीन्स आदि और श्रम शुल्क (सभी जीएसटी को छोड़कर) शामिल होने चाहिए।

- ताजा दूध प्रतिष्ठित ब्रांड और अच्छी गुणवत्ता का होना चाहिए।
- केवल प्रतिष्ठित ब्रांडों के चीनी पाउच /क्यूब्स की आपूर्ति की जाएगी।
- सभी कार्मिकों को निविदाकार द्वारा कार्य किए गए दिनों के लिए, समय-समय पर केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान किया जाना चाहिए।

अनुलग्नक - V

उदाहरणात्मक उदाहरण

एल1 बोलीदाता के चयन की प्रक्रिया  
वित्तीय बोली का मूल्यांकन

आइटम / विवरण	प्रति कप दर – निविदाकार X	प्रति कप दर – निविदाकार Y	प्रति कप दर – निविदाकार Z
सादा दूध	10	12	10.5
दूध वाली चाय	10	12	10.5
दूध वाली चाय	7.5	7	8
ब्लैक कॉफ़ी	10	12	10.5
ब्लैक टी	7.5	7	8
चाय – स्वादयुक्त (मसाला, इलायची, नींबू, अदरक, ग्रीन टी, आदि)	7.5	7	8
<b>कुल (जीएसटी को छोड़कर) =</b>	52.5	57	55.5
<b>औसत = कुल / 6</b>	<b>8.75 (L1)</b>	9.50	9.25

- उपरोक्त चयन मानदंडों के अनुसार, निविदाकार X (जिसने 8.75 रुपये का न्यूनतम औसत अंक प्राप्त किया है) को न्यूनतम बोलीदाता (L1) घोषित किया जाएगा।
- कृपया ध्यान दें: औसत की गणना करते समय, दशमलव बिंदु के बाद अंतिम दो अंकों को पूर्णांकित नहीं किया जाएगा।
- L1 की गणना में बैंक का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी है।

## प्रदर्शन बैंक गारंटी का प्रोफॉर्मा

(जारीकर्ता बैंक के नाम से खरीदे गए उचित मूल्य के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर प्रस्तुत किया जाना है)

सं. \_\_\_\_\_ दिनांक \_\_\_\_\_

सेवा में,  
क्षेत्रीय निदेशक  
(आंध्र प्रदेश और तेलंगाना)  
भारतीय रिजर्व बैंक  
मानव संसाधन प्रबंधन विभाग  
6-1-56, सचिवालय रोड  
सैफाबाद, हैदराबाद – 500 004

प्रिय महोदय,

आपके साथ उनके अनुबंध के अनुसार मेसर्स \_\_\_\_ (जिसे आगे "ठेकेदार" कहा जाएगा) को ताजे दूध/कॉफी/चाय वेंडिंग मशीनों की स्थापना और रखरखाव के साथ-साथ बैंक के परिसर में वेंडिंग मशीनों के रखरखाव के लिए श्रम की आपूर्ति के लिए कार्य देने के लिए आपकी सहमति के मद्देनजर, भारतीय रिजर्व बैंक, हैदराबाद को उनके दिनांक \_\_\_\_ के टेंडर के अनुसार और आपके अनुबंध की सामान्य/विशेष शर्तें और उससे संबंधित अन्य निविदा दस्तावेज, जो कि आपके अनुबंध दिनांक \_\_\_\_ में पारस्परिक रूप से सहमत/निर्धारित या संदर्भित शर्तों और परिवर्तनों के अधीन हैं, हमारे द्वारा गारंटी के रूप में, जैसा कि आगे निहित है, हम (बैंक का नाम) इसके द्वारा आपके साथ निम्नानुसार अनुबंध और सहमति करते हैं:

1. हम आपको समय-समय पर ₹2,50,000/- (दो लाख पचास हजार रुपये मात्र) की सीमा तक क्षतिपूर्ति करने और क्षतिपूर्ति प्रदान करने का वचन देते हैं, जो कि ठेकेदार द्वारा उक्त अनुबंध में निहित किसी भी नियम व शर्तों के किसी भी उल्लंघन के कारण आपको हुई या सहन की जा सकने वाली किसी भी हानि या क्षति के लिए होगी और यदि ठेकेदार उक्त अनुबंध के तहत किसी भी कार्य को करने में या अन्यथा उसके वास्तविक उद्देश्य और अर्थ के अनुसार उससे संबंधित किसी भी नियम व शर्तों के पालन और प्रदर्शन में कोई चूक करता है, तो हम मांगे जाने पर आपको ऐसी राशि या राशियों का भुगतान करेंगे, जो कुल मिलाकर ₹2,50,000/- (दो लाख पचास हजार रुपये मात्र) से अधिक नहीं होगी, जैसा कि आप ठेकेदार की ओर से ऐसी चूक के कारण अपने नुकसान और/या क्षति, लागत, शुल्क या व्यय के रूप में दावा कर सकते हैं।

2. इसके विपरीत किसी बात के होते हुए भी, आपका यह निर्णय कि क्या ठेकेदार ने कोई चूक या चूक की है और उसके कारण आप जिस राशि या राशियों के हकदार हैं, वह हमारे लिए बाध्यकारी होगा और हम आपसे इस गारंटी के तहत आपके दावे या दावों को स्थापित करने के लिए कहने के हकदार नहीं होंगे, लेकिन बिना किसी विरोध या आपत्ति के आपकी मांग पर तुरंत भुगतान करेंगे।

3. यह गारंटी तब तक जारी रहेगी और प्रभावी रहेगी जब तक कि उक्त अनुबंध की सापेक्ष गारंटी अवधि की समाप्ति के बाद ठेकेदार द्वारा आवेदन करने पर आपके द्वारा इसे जारी नहीं कर दिया जाता है और ठेकेदार द्वारा उक्त अनुबंध के तहत अपने सभी दायित्वों का निर्वहन करने और उक्त अनुबंध के तहत कार्य के विधिवत समापन का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने और "नो डिमांड सर्टिफिकेट" प्रस्तुत करने के बाद, यह गारंटी जारी रहेगी और प्रभावी रहेगी, बशर्ते कि यह गारंटी किसी भी स्थिति में अनुबंध की समाप्ति के दिन के 60 दिनों के बाद आपके दावे या दावों के पूर्वाग्रह के बिना लागू नहीं रहेगी, जो आपसे उत्पन्न हुए हैं और मांगे गए हैं या अन्यथा हमें लिखित रूप में सूचित किए गए हैं।
4. यदि किसी भी कारण से इस गारंटी को बढ़ाना आवश्यक हो, तो हम आपके अनुरोध पर इस गारंटी की अवधि को आपकी आवश्यकतानुसार बढ़ाने का वचन देते हैं। इस संबंध में आपका निर्णय अंतिम और हमारे लिए बाध्यकारी होगा।
5. इस गारंटी को लागू किए बिना आपको समय-समय पर उक्त अनुबंध के किसी भी नियम व शर्त में परिवर्तन करने या ठेकेदार के निष्पादन का समय बढ़ाने या ठेकेदार के विरुद्ध अपने किसी भी अधिकार या शक्ति को किसी भी समय के लिए या समय-समय पर स्थगित करने और उक्त अनुबंध के किसी भी नियम व शर्त को लागू करने या लागू करने से परहेज करने की पूरी स्वतंत्रता होगी और हम पूर्वोक्त मामलों के संदर्भ में आपकी स्वतंत्रता के प्रयोग से या ठेकेदार को दिए गए किसी भी समय या आपकी ओर से किसी अन्य परहेज, कार्य या चूक या आपके द्वारा ठेकेदार के प्रति किसी तरह की रियायत या उक्त अनुबंध या किसी अन्य कार्य, मामले या चीजों में किसी भी बदलाव या संशोधन के कारण इस गारंटी के तहत हमारे दायित्व से मुक्त नहीं होंगे, जो कि जमानत से संबंधित कानून के तहत होता लेकिन इसके प्रावधानों के लिए हमें इसके तहत हमारे दायित्व से मुक्त करने का प्रभाव पड़ता है बशर्ते कि इसमें निहित कोई भी बात पूर्वोक्त ₹2,50,000/- (दो लाख पचास हजार रुपये मात्र) की सीमा से परे हमारे दायित्व को नहीं बढ़ाएगी।
6. यह गारंटी किसी भी तरह से आपके द्वारा ठेकेदार या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति, फर्म या कंपनी से कोई प्रतिभूति लेने, उसमें परिवर्तन करने या त्यागने या ठेकेदार के समापन, विघटन, दिवालियापन या मृत्यु, जैसी भी स्थिति हो, से प्रभावित नहीं होगी।
7. इसमें निहित गारंटी को पूर्ण प्रभाव देने के लिए, आप इस प्रकार कार्य करने के हकदार होंगे जैसे कि हम पूर्वोक्त रूप से हमारे द्वारा गारंटीकृत ठेकेदार के विरुद्ध आपके सभी दावों के संबंध में आपके प्रमुख देनदार थे और हम इसके द्वारा स्पष्ट रूप से जमानत के अपने सभी अधिकारों और अन्य अधिकारों को छोड़ देते हैं, यदि कोई हो, जो किसी भी तरह से इस गारंटी के किसी भी प्रावधान के साथ असंगत हैं।
8. पूर्वोक्त हमारी देयता की अधिकतम सीमा के अधीन, यह गारंटी ठेकेदार के विरुद्ध समय-समय पर आपके सभी दावों को कवर करेगी जो उक्त अनुबंध से या उसके संबंध में उत्पन्न होते हैं और जिनके संबंध में आपका लिखित दावा इस गारंटी की समाप्ति से पहले हमारे पास दर्ज किया गया है।
9. मांग के रूप में या अन्यथा कोई भी नोटिस विशेष कूरियर, टेलेक्स, फैक्स या पंजीकृत डाक द्वारा हमारे पूर्वोक्त स्थानीय पते पर भेजा जा सकता है और यदि डाक द्वारा भेजा जाता है, तो उसे पोस्ट किए जाने पर दिया गया माना जाएगा।

10. यह गारंटी और इसमें निहित शक्तियां और प्रावधान हमारे द्वारा आपको पहले दी गई किसी अन्य गारंटी या गारंटियों (चाहे संयुक्त रूप से या अकेले) के अतिरिक्त हैं और अब निरस्त नहीं की गई हैं और इस गारंटी का उद्देश्य ऐसी गारंटी या गारंटियों को रद्द करना या सीमित करना नहीं है और न ही ऐसा किया जाएगा।

11. यह गारंटी ठेकेदार या हमारे संविधान में किसी भी परिवर्तन से प्रभावित नहीं होगी और न ही यह आपके संविधान में किसी भी परिवर्तन या उसके किसी समामेलन या अवशोषण से प्रभावित होगी, बल्कि अवशोषित या समामेलित कंपनी या प्रतिष्ठान के लाभ के लिए सुनिश्चित होगी और उसके लिए उपलब्ध और लागू करने योग्य होगी।

12. उक्त निविदा की किसी भी शर्त को लागू करने में बैंक की ओर से कोई सहनशीलता, कार्य या चूक या बैंक द्वारा निविदाकार के प्रति कोई रियायत दिखाने से किसी भी तरह से जमानतदार को मुक्ति नहीं मिलेगी और इस गारंटी के तहत जमानतदार के दायित्वों को केवल बैंक द्वारा जमानतदार को दी गई सूचना पर ही मुक्ति मिलेगी।

13. भारतीय रिजर्व बैंक की लिखित पूर्व सहमति के बिना हम इस गारंटी को रद्द नहीं करेंगे।

14. हम आगे सहमत हैं और वचनबद्ध हैं कि आपके द्वारा लिखित रूप में मांगी गई राशि का भुगतान बिना किसी आपत्ति के करेंगे, भले ही आपके और ठेकेदार या किसी अन्य व्यक्ति के बीच कोई मतभेद या विवाद या विवाद मौजूद हो या उत्पन्न हो।

15. उपरोक्त किसी भी बात के होते हुए भी, इस गारंटी के अंतर्गत हमारी देयता ₹2,50,000/- (दो लाख पचास हजार रुपये मात्र) तक सीमित है। जब तक इस गारंटी की समाप्ति तिथि से पहले, जिसमें विस्तार भी शामिल है, यदि कोई हो, इस गारंटी के अंतर्गत भुगतान के लिए हम पर लिखित दावा प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तब तक गारंटी के अंतर्गत आपके सभी अधिकार जब्त कर लिए जाएंगे और हमें इसके अंतर्गत सभी देयताओं से मुक्त और उन्मुक्त माना जाएगा, चाहे मूल गारंटी हमें वापस मिले या नहीं।

16. हमारे पास हमारे बैंक के मेमोरेण्डम और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के तहत आपके पक्ष में यह गारंटी जारी करने की शक्ति है और नीचे हस्ताक्षरकर्ता के पास बैंक द्वारा उसे दी गई पावर ऑफ अटॉर्नी के तहत इस गारंटी को निष्पादित करने की पूरी शक्ति है।

हस्ताक्षरित और सुपुर्द  
(उपर्युक्त बैंक के लिए एवं उसकी ओर से)

के लिए एवं की ओर से (बैंकर का नाम एवं मुहर)  
शाखा प्रबंधक  
(बैंकर की मुहर)  
पता \_\_\_\_\_